अध्याय – VII

विषयगत लेखापरीक्षा

क. जब्त एवं अधिग्रहित माल का निपटान

7.1 प्रस्तावना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 में निर्धारित किया जाता है कि एक सीमाशुल्क अधिकारी किसी माल को पकड़ सकता है, यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कारण हो कि माल उक्त अधिनियम के तहत जब्त किये जाने के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त, अनुचित रूप से आयात किया गया अथवा अनुचित रूप से निर्यात करने के लिए प्रयास किया गया माल भी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 तथा 113 के तहत जब्त किये जाने के लिए भी दायी है।

व्यक्ति जिससे माल पकड़ा गया है, को सामान्य रूप से छह माह (अधिनियम की धारा 110(2)) के भीतर एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) (अधिनियम की धारा 124 के तहत) जारी किया जाता है अन्यथा माल उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके अधिकार से वह जब्त किया गया था।

जब्ती के बाद, माल केन्द्र सरकार की सम्पति बन जाता है तथा सरकार माल को बेच/नीलाम कर सकती है। विभाग की निपटान नियम पुस्तिका पकड़े गए तथा जब्त किये गये माल को चार श्रेणियों में वर्गीकृत[20] करती है:

(i) श्रेणी-I(जब्ती के शीघ्र बाद निपटान किये जाने वाला माल);

(ii) श्रेणी-II {अधिनियम की धारा 110 (1ए) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निपटान किया जाने वाला माल};

(iii) श्रेणी-III (समाप्ति की तिथि से पहले अथवा जब्ती की तिथि से छह माह के भीतर निपटान किया जाने वाला माल);

(iv) श्रेणी-IV(उपरोक्त तीन श्रेणियों[20] में सूचीबद्ध न किया गया सभी अन्य माल)।

समय पर निपटान तथा यथोचित मूल्य की उगाही सुनिश्चित करने में प्रणाली की दक्षता का मूल्यांकन न करने अथवा विलम्बित निपटान के कारण राजस्व के नुकसान/राजस्व के अवरोधन का निर्धारण, प्रणाली में कमियों को चिन्हित

[20] परिपत्र एफ सं. 711/31/83-एलसी (एएस) दिनांक 22.05.1984।

करने के कारण विलम्ब 2010-11 से 2012-13 की अवधि से संबंधित 11 राज्यों अर्थात असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 19 कमिश्नरियों (परिशिष्ट 34) के अभीलेखों की समीक्षा की गई थी।

अतिरिक्त भारतीय स्तर पर 2010-11 से 2012-13 के अवधि के दौरान जब्ती की कुल राशि ₹ 1857 करोड़ से ₹ 2476 करोड़ तक थी (परिशिष्ट 4)। अधिकतम बढोतरी नशीली दवाओं, मशीनरी/पुर्जों, धागे/सिल्क धागे इत्यादि, इलैक्ट्रानिक मदों तथा वाहन/पोत/विमान इत्यादि में थी।

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार, 31 मार्च, 2013 को 19 कमिश्नरियों में निपटान न किये गए माल (श्रेणी I, II, III तथा IV) का कुल मूल्य ₹ 466.24 करोड़ था । इनमें से ₹ 78.30 करोड़ मूल्य का माल (श्रेणी 1, II तथा III) कम जीवन काल होने से खराब होनेवाला था तथा ₹ 387.94 करोड़[21] मूल्य का माल अन्य श्रेणियो का था (श्रेणी IV)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभाग उस अवधि के दौरान पकड़े गए माल के 36 प्रतिशत से कम का निपटान करने के लिए समर्थ था। उच्च सम्पतियों वाली कमिश्नरियॉं मुम्बई ₹ 298.82 करोड़[22], दिल्ली ₹ 59.26 करोड़[23], उत्तर प्रदेश ₹ 39.31 करोड़[24], मध्य प्रदेश ₹ 27.91 करोड़[25] तथा राजस्थान ₹ 25.84 करोड़[26] थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

---

[21] वे कमिश्नरियाँ जिन्होनें माल के मूल्य को वर्गीकृत नहीं किया था, उसे अन्य श्रेणी में रखा गया है।

[22] आयुक्त, सीमाशुल्क (जोन-I) मुम्बई ₹ 83.41 करोड़, आयुक्त, सीमाशुल्क (जोन-II) मुम्बई ₹ 166.02 करोड़ तथा आयुक्त सीमाशुल्क (जोन-III) मुम्बई ₹ 49.39 करोड़।

[23] कमिश्नरी, सीमाशुल्क, एयर कार्गो, दिल्ली 9.98 करोड़, कमिश्नरी, सीमाशुल्क, आई एवं जी, ₹ 0.95 करोड़, कमिश्नरी, सीमाशुल्क, आईसीडी, टीकेडी, दिल्ली ₹ 1.23 करोड़ तथा अति आयु आईजीआई, टर्मिनल-III, दिल्ली ₹ 47.11 करोड़।

[24] कमिश्नरी सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ ₹ 22.31 करोड़, कमिश्नरी, कानपुर ₹ 10.09 करोड़ कमिश्नरी, नोयडा ₹ 0.29 करोड़ तथा कमिश्नरी गाजियाबाद ₹ 6.62 करोड़।

[25] कमिश्नरी, इन्दौर ₹ 2.06 करोड़ तथा कमिश्नरी, भोपाल ₹ 25.84 करोड़।

[26] कमिश्नरी, सीमाशुल्क जोधपुर

7.3 अभिलेखों का दस्तावेजीकरण तथा अनुरक्षण

निपटान नियम पुस्तक के अनुसार,पकड़े गए तथा जब्त किए गए माल की निगरानी हेतु उचित अभिलेखों/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा मूल्यांकन निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

(i) इन मामलों का कोई अभिलेख उपायुक्त मंडीदीप, सहायक उपायुक्त, ग्वालियर तथा अधीक्षक (निवारक) इन्दौर द्वारा नहीं बनाया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

(ii) सीमाशुल्क आयुक्त, जयपुर, आईसीडी राजसिको सांगनेर ने 2012-13 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए तथा जब्त किए गए माल के संबंध में शून्य सूचना उपलब्ध कराई। हालांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमश: ₹165.05 लाख तथा ₹64.55 लाख मूल्य वाले माल पकड़ा/जब्ती किया गया था। यह न केवल पकडे गए तथा जब्त किये गये माल के डाटा वेस/रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना दर्शाता है बल्कि दस्तावेजीकरण की खराब गुणवत्ता भी दर्शाता है।

(iii) बैंगलोर कमिश्नरी द्वारा कोई अभिलेख/रजिस्टर नहीं बनाया गया था। अभिलेखों का रखरखाव न करने के लिए कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(iv) अतिरिक्त आयुक्त, आईजीआई टर्मिनल।।।, दिल्ली के मामले में 2010-11 के दौरान ₹ 20.72 लाख मूल्य के श्रेणी-। के माल का निपटान किया गया था परन्तु चूक के कारण उन्हें एमआईएस में नहीं दर्शाया गया।

(v) अतिरिक्त सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली (आईजीआई टर्मिनल-।।।) के संबंध में, यह देखा गया है कि निपटान शाखा द्वारा निवारक ।। शाखा को 3614.600 ग्राम भार के 31 स्वर्ण बिस्किट का निपटान सूचित (जुलाई 2012) किया गया था जो पहले ही 1997-98 के दौरान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक – निपटान) के कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से निपटान किये जा चुके थे। यह न केवल दोनों शाखाओं के मध्य समन्वय के अभाव को दर्शाता है, अपितु उनकी प्रबन्धन सूचना प्रणाली में कमियों को भी दर्शाता है।

7.4 राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्रेक्षेपण न करना

राजस्व के संग्रह की प्रगति की प्रभावी तथा अर्थपूर्ण निगरानी के लिए जब्त तथा पकड़े गए माल के निपटान के लिए लक्ष्यों का गठन करना एक पूर्वापेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान बैंगलौर तथा पटना को छोड़कर किसी कमिश्नरी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल राजस्व वसूली ₹71.34 करोड़ पाई गई थी (परिशिष्ट 35)।

7.5 अधिनिर्णय

बोर्ड ने विशिष्ट समय सीमा निर्धारित[27] की है, जिसमें अधिकारी उन मामलों में अधिनिर्णय पूरा करेंगे जो केवल जब्ती से संबंधित हैं।

आयुक्त अथवा अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस के देने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय पूरा करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नौ कमिश्नरियों ने उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था तथा ₹ 3317.57 लाख मूल्य की जब्ती वाले 65 मामलों (परिशिष्ट 36) के संबंध में अधिनिर्णय मे 1 से 204 महीनों तक का विलम्ब हुआ था। सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस के देने की तारीख से छः माह के अन्दर अधिनिर्णय पूरा करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः कमिश्नरियो ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 271.40 लाख मूल्य की जब्ती वाले 343 मामलों के संबंध में अधिनिर्णय में 1 से 23 महीनों तक का विलम्ब हुआ (परिशिष्ट 37) था।

अधीक्षक सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस देने की तिथि से 3 महीने के अन्दर अधिनिर्णय पूरा करना था।

[27] परिपत्र सं. 3/2007-सी.शु दिनांक 10.01.2007

तथापि, दो कमिश्नरियों ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.92 लाख के मूल्य वाले जब्ती के 268 मामलों के संबंध में अधिनिर्णय में एक से 24 महीने का विलम्ब हुआ (परिशिष्ट 38)।

इस प्रकार विभाग 2010-11 से 2012-13 के दौरान अधिनिर्णय के संबंध में निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहा। आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) लखनऊ ने लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए विलम्ब को स्वीकार किया (अगस्त 2013)।

7.6 संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति

सीबीईसी का परिपत्र (12/2006-सीमाशुल्क दिनांक 20 फरवरी 2006) जब्त तथा पकड़े गए माल के मूल्यांकन तथा निपटान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीमाशुल्क कमिश्नरी में जब्त तथा पकड़े गए माल के निपटान के लिए एक संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) का गठन कर उसे यह उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। जेपीसी में किसी अन्य कार्यभार के साथ उप/सहायक आयुक्त तथा अधीक्षक के साथ-साथ निपटान के प्रभारी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, उप/सहायक आयुक्त, अधीक्षक निपटान के प्रभारी होगें।

जेपीसी नीलामी एवं निविदा के माध्यम से निपटान किये जाने वाले माल का उचित मूल्य निर्धारित करेगी। उचित मूल्य थोक बाजार में ऐसे माल का संभावित मूल्य पता लगाकर और इसमें से नीलामी एवं निविदा में खरीददार के लाभ को दर्शाते हुए 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की छूट घटाकर नियत किया जाना चाहिए। बिक्री के लिए प्रस्तावित माल को थोक बाजार मूल्य तथा लाभ का मार्जिन केवल सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन द्वारा अभिनिश्चित किया जाएगा और न कि सीमाशुल्क स्टाफ द्वारा। इसके अतिरिक्त नीलामी एवं निविदा प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी।

2010-11 से 2012-13 के दौरान आयुक्तालय सीमाशुल्क, मुम्बई तथा आयुक्तालय सीमा शुल्क (निवारक) पटना जेपीसी में निर्धारित प्रभारी नहीं थे।

परिणामस्वरूप ₹836.96 लाख मूल्य का जब्त किया गया माल 1986 से 2012 तक बिना निपटान के पड़ा रहा था (परिशिष्ट 39)।

2010-11 से 2012-13 के दौरान आयुक्तालय सीमाशुल्क, जोधपुर में जब्त/ पकड़े गए माल के निपटान के लिए कोई नीलामी एवं निविदा नोटिस आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सीबीईसी के परिपत्र के उल्लंघन में, माल का निपटान बिना किसी नीलामी एवं निविदा के सीमाशुल्क स्टाफ द्वारा जांच किये गए मूल्य के आधार पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹10.14 लाख की कम वसूली हुई (परिशिष्ट 40)।

आयुक्तालय सीमाशुल्क (निर्यात) मुम्बई में ₹ 9.96 लाख मूल्य के 9960 ईयरफोन सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन से उचित मूल्य का अभिनिश्चित बिना ही ई-नीलामी के माध्यम से ₹ 3.51 लाख में निपटान किए गए थे (मार्च 2013), परिणामस्वरूप ₹ 6.45 लाख की कम वसूली हुई थी।

7.7 पकड़े गए/जब्त किये गये माल का निपटान न करना

सीबीईसी ने अपने अनुदेशों (450/97/2010-सीशु IV दिनांक 22 जुलाई 2010) में निर्देश किया था कि प्रत्येक सीमाशुल्क फार्मेशन सभी निकासी न किए गए /दावा न किए गए नौभार के तीव्र निपटान के लिए एक मुश्त व्यापक समीक्षा हेतू एक कार्यबल का गठन करेगी और लम्बित नौभार जो 31 दिसम्बर 2010 को निपटान हेतु तैयार था, के अवधिवार ब्यौरे के साथ-साथ निपटान की प्रगति के लिए पूछा जाएगा। सीबीईसी ने अपने अनुदेशों में भी पुनरावृत्ति कि ऐसे मामलों में जहाँ परेषण सीमा शुल्क द्वारा अवरोधित की गई हैं वहाँ सभी लम्बित कार्यवाहियां जैसे जाँच पड़ताल अधिनिर्णय तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रियाएं बिना विलम्ब के पूरा करने हेतु प्रारंभ की जानी चाहिए। निर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर ऐसे नौभार का तीव्र निपटान सुनिश्चित करना आयुक्तों की जिम्मेदारी थी यह देखने के लिए कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था या नही, इसकी समीक्षा मुख्य आयक्तों की बैठक या सीबीईसी द्वारा अलग से की गई या नहीं, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है (मार्च 2014)।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 जब्त किए गए माल के निपटान के बाद सरकार को देय रशियों की वसूली के लिए प्रावधान करती है। जब्त/पकड़े गए माल का विवरण परिशिष्ट 34 में दर्शाया गया है।

7.8 श्रेणी-I - जब्ती के तुरन्त बाद निपटान किए जाने वाला माल

सीबीईसी के दिशानिर्देशोंके अनुसार, श्रेणी-I के अंतर्गत माल का निपटान सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने तथा स्वामियों को नोटिस जारी करने के बाद माल के अभिरक्षक द्वारा जब्ती के तुरंत बाद किया जाना चाहिए क्योंकि माल केवल तीन माह के अवधि के साथ बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है तथा इस अवधि के बाद मानव-प्रयोग हेतु अयोग्य हो जाता है।

31 मार्च 2013 को, पूरे देश में 19 कमिश्नरियों में श्रेणी-I, के अंतर्गत ₹3.69 करोड के खराब होने योग्य माल का निपटान नहीं किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) चार कमिश्नरियों में निर्धारित प्रावधानों/दिशानिर्देशों के विपरीत 1997 से ₹311.84 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल निपटान के बिना पड़ा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹311.84 लाख राशि के राजस्व की उगाही नहीं हुई जैसा नीचे बताया गया है:

(₹ लाख)

क्र. सं.	**कमिश्नरी**	**पड़ा हुआ**	**मद**	**मात्रा**	**मूल्य**	**कब से पड़ा हुआ है**
1.	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, गाजियाबाद	आईसीडी, लोनी	गैर-बासमती चावल	541.076 एमटी	289.34	2009 से 2010
2.	सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता	शेड-1 तथा II	सिगरेट	1 मामला	0.88	2011
3.	सीमाशुल्क, मुम्बई		सिगरेट		16.65	2010
4.	सीमाशुल्क, दिल्ली	आईसीडी, पीपीजी	औषधि तथा हर्बल उत्पाद	5 मामला	4.49	1997
			चावल	1 मामला	0.48	2010
	जोड़				311.84	

उपायुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी लोनी गाजियाबाद ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि माल सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन के समक्ष रखा जाएगा तथा शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाएगा।

7.9 पकडे गए/जब्त किये गए माल के निलम्बित निपटान के कारण हानि

तीन कमिश्नरियों में निपटान प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, सरकार ने ₹ 8.36 लाख मूल्य की हानि उठाई जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) आयुक्तालय सीमाशुल्क, भोपाल में विभाग ने ₹ 4.80 लाख के लगाने योग्य शुल्क के साथ सिगरेट के 20 बैग जब्त किये (अक्तूबर 2010) परंतु अनुबद्ध समयावधि में निपटान न होने के कारण, यह मानव प्रयोग के लिए अयोग्य हो गए जैसाकि सीटीआरआई, राजामुन्दरी द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.80 लाख की राजस्व की हानि हुई।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, जोधपुर में ₹ 0.61 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल जब्त किया गया था (जून से अक्तूबर 2009 तथा मार्च से अगस्त 2010 के दौरान) तथा इसकी समाप्ति की तिथि के बाद भी जब्ती यूनिट में लम्बित पड़ा रहा था। मानव खपत हेतु अयोग्य हो जाने के अतिरिक्त ₹ 0.61 लाख मूल्य की राजस्व हानि हुई।

(iii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, पटना में 2010 के दौरान ₹ 2.95 लाख मूल्य का जब्त किया गया अन्य खराब होने योग्य माल का इसकी समाप्ति के तिथि के पश्चात नष्ट किए जाने के ढ़ंग से निपटान किया गया था (फोर्बस गंज डिवीजन)।

7.10 श्रेणी -।। -सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (1ए) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निपटान किया जाने वाला माल

यह श्रेणी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(1ए) के अंतर्गत अधिसूचित माल जैसे स्वर्ण, सिल्वर, हीरे, कीमती/अर्धकीमती पत्थर, मुद्रा (भारतीय तथा विदेशी), रेड सेन्डर, सभी इलैक्ट्रानिक माल तथा शराब इत्यादि तथा कोई अन्य अधिसूचित माल को कवर करती है। 31 मार्च 2013 को सारे

देश में 19 कमिश्नरियों में ₹ 95.48 करोड़ मूल्य का श्रेणी-।। का माल निपटान हेतु लम्बित था। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया।

(i) 10 कमिश्नरियों में उस तिथि तक उपरोक्त प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों की अवहेलना में ₹ 5737.71 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल (इलैक्ट्रानिक माल) 1 से 31 वर्षों तक गोदाम में निपटान के लिए पड़ा हुआ है (परिशिष्ट 41)। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

(ii) कानपुर कमिश्नरी ने सूचित किया कि ₹ 65.31 लाख मूल्य के जब्त किये गए माल के लिए मूल आदेश किया गया है (दिसम्बर 2013)। निपटान प्रक्रिया मार्च 2014 तक पूरी हो जाएगी। आगरा डिवीजन में पडे हुए माल के संबंध में (₹ 3.36 लाख) 1991 से 2002 की अवधि के दौरान जब्त किया गया था तथा स्वरूप में बेकार हो गया है तथा संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) द्वारा पुर्नमूल्यांकन के पश्चात निपटान प्रक्रियाओं को मार्च 2014 तक पूरा होने की संभावना है।

(iii) छह कमिश्नरियों में, प्रावधानों/दिशानिर्देशों के विपरीत 1985 से 2012 तक ₹259.41 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल निपटान के बिना पड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ। ब्यौरे परिशिष्ट 42 में दर्शाये गये हैं।

उप आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी लोनी, गाजियाबाद ने सूचित किया कि मामला माननीय सेसटैट तथा आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित था तथा जैसे ही मामले अन्तिम रूप लेते हैं, राज्य प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से जब्त किये गए माल के निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(iv) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निवारक) पटना में ₹486.69 लाख मूल्य के वाहन 1998 से 2012 तक निपटान के लिए प्रतीक्षित पड़े हुए थे। चूंकि ये वाहन फोर्ब्सगंज मोतीहारी, मुज़फ्फरपुर तथा पटना में खुले में खडे किए गए हैं, वे समय गुजरने के साथ विकृत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की राशि कम हो सकती है।

(v) आयुक्तालय सीमाशुल्क (जोन-1) मुम्बई में ₹350.75 लाख मूल्य के 40 जब्त किये गए और पकडे गए वाहन 1987 से बिना निपटान पडे हुए थे। इन वाहनों का वर्तमान मूल्य लगभग नगण्य हो जाएगा।

(vi) आयुक्तालय सीमाशुल्क, भोपाल में ₹8.40 लाख मूल्य का 286.30 ग्राम भार का स्वर्ण सितम्बर 1981 में जब्त किया गया था परन्तु अभी तक बिना निपटान किए पड़ा था।

(vii) इसी प्रकार आयुक्तालय, सीमाशुल्क, इन्दौर में गैर अधिनिर्णय के कारण जून 1981 से ₹ 8.20 लाख मूल्य का 3.297 किग्रा स्वर्ण तथा अप्रैल 1989 से ₹ 72.17 लाख मूल्य की 1046.016 क्रिग्रा चांदी बिना निपटान के पड़ी हुई थी।

(viii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, मुम्बई में ₹ 2569.22 लाख मूल्य का स्वर्ण, चॉदी, कीमती पत्थर तथा विदेशी मुद्रा इत्यादि मार्च 2013 के अंत तक बिना निपटान के पड़े हुए थे। तथापि, उपरोक्त में से ₹1716.18 लाख तीन वर्षों से अधिक के लम्बन से संबंधित हैं।

(ix) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निवारक) पटना में, मुज़फ्फरपुर डिवीजन ने ₹0.10 लाख मूल्य का सिल्वर स्क्रेप 2010 से बिना निपटान किए हुए पड़ा था।

(x) सीबीईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, तुच्छ आधारों पर माल को नीलामी-एवं निविदा से वापस नहीं लिया जाना चाहिए तथा सभी पश्च – नीलामी/निविदा प्रस्तावों, यदि सफल बोली से उच्च राशियों के लिए हों, की कड़ाई से अवहेलना की जानी चाहिए तथा किसी भी रूप में संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए।

आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक) लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2003 से 2008 के दौरान जब्त की गई ₹55.52 लाख मूल्य वाली लगभग 17.55 एमटी रेड सेन्डर लकड़ी क्रमश: लखनऊ, गोरखपुर तथा नौतनवा सीमाशुल्क डिवीजनों में पड़ी हुई थी। विभाग ने इस माल को जब्त किया एवं निपटान के लिए राज्य वन निगम (निगम) को प्रस्तावित किया (दिसम्बर 2010)। नीलामी में (जनवरी 2011), 58 बोलीदाताओं ने भाग लिया

तथा प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली ₹ 59.46 लाख की थी। इसके अलावा, उच्चतम बोलीदाता ने निगम के पास ₹ 12 लाख अग्रिम के रूप में भी जमा किये थे।

निगम ने विभाग को सूचित किया (13 जनवरी 2011) कि दूसरा बोलीदाता देरी से पहुंचने के कारण नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका था तथा उसने जो दरें प्रस्तावित की (11 जनवरी 2011), वे 10 जनवरी 2011 को प्राप्त उच्चतम दरों की अपेक्षा ₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख तक उच्च मूल्य सर्जित् करेगी। निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि बाद वाले बोलीदाता ने ₹2 लाख प्रत्येक मूल्य के छह बैंक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किये थे जो नीलामी की तिथि के बाद तैयार कराए गए थे। तदनुसार, निगम ने विभाग से इस तर्क पर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अनुरोध किया (जनवरी 2011) कि बाद वाली बोली अधिक राजस्व अर्जित करेगी। यद्यपि पहले वाली बोली अंकित मूल्य से अधिक थी, विभाग निगम के अनुरोध पर सहमत हुआ तथा नीलामी निरस्त कर दी गई थी (फरवरी 2011)। तथापि, माल अभी भी गोदाम में बिना निपटान के पड़ा हुआ है (मार्च 2014)। सीबीईसी दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण ₹55.52 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

7.11 पकड़े गए/जबत किए गए माल के विलम्बित निपटान के कारण हानि

सरकार ने दो कमिश्नरियों में निपटान प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ₹ 113.40 लाख की राजस्व हानि उठाई जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है:-

(i) ₹ 7.27 लाख मूल्य की 18.715 एमटी पीवीसी एडेसिव शिटिंग/विनाईल प्रीडटिंग सामग्री गलत उदघोषणा (जनवरी 2012) पर पकडी गई /जब्त की गई थी, जिसके बाद में विभाग द्वारा ₹ 80.03 लाख मूल्य अनुमानित किया गया था तथा गाजियाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी, लोनी में निपटान के लिए पड़ी हुई थी। सेसटैट के आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच (जनवरी 2013) से पता चला कि 50 प्रतिशत माल खराब हो गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल माल की बरबादी हुई अपितु कमिश्नरी की शिथिलता के कारण सार्वजनिक राजकोष को ₹ 80.03 लाख मूल्य के राजस्व की हानि भी हुई।

उपायुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, लोनी, गाजियाबाद ने सूचित किया कि मामला माननीय सेसटैट के समक्ष लम्बित है।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुल्क (हवाई अड्डा) मुम्बई में ₹33.37 लाख मूल्य के 19 मई 2012 की समाप्त तिथि वाले 1557 ग्राम की केन्ट्राबेंड मदों (कार्बो प्लाटिन) को जब्त किया गया था (जनवरी 2011)। मदों का अधिनिर्णय समाप्ति तिथि से काफी पहले 9 अप्रैल 2012 को हो गया था, निपटान आदेश मात्र समाप्ति तिथि के पश्चात जारी किया गया था (जुलाई 2012 को)। परिणामस्वरूप, निर्धारित समय सीमा के अन्दर निपटान न होने के कारण विभाग को ₹33.37 लाख की राजस्व हानि हुई।

7.12 श्रेणी- III जब्ती की तिथि से छह माह के अन्दर जहाँ समाप्ति की तारीख से दर्शाई गई है, वहाँ उस तिथि से पहले निपटान किया जाने वाला माल

श्रेणी-III माल का निपटान उनकी जब्ती के छह माह के अन्दर अथवा जहाँ समाप्ति तिथि दर्शाई गई है वहाँ उससे पहले किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2013 को 19 कमिश्नरियों ने श्रेणी-III की ₹ 8.53 करोड़ मूल्य का माल निपटान हेतु गोदाम में लम्बित पड़ा हुआ था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) चार कमिश्नरियों में, उपरोक्त प्रावधानों/अनुदेशों (परिशिष्ट 43) के विपरीत 1988 से 2012 तक ₹ 206.37 लाख मूल्य का माल बिना निपटान किया हुआ पड़ा था। मानव खपत हेतु अयोग्य हो जाने के अलावा, इन दवाईयों का निपटान न होने के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 206.37 लाख की राजस्व हानि हुई।

(ii) चार कमिश्नरियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित प्रावधानों/अनुदेशों के विपरीत ₹ 647.06 (परिशिष्ट 44) लाख मूल्य का जब्त किया गया माल निपटान हेतु तैयार होने के बाद भी 2001 से निपटान के लिए प्रतीक्षित था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

7.13 पकडे गए/जब्त किए गए माल के विलम्बित निपटान के कारण हानि

तीन कमिश्नरियों में, सरकार ने निपटान में विलम्ब के कारण ₹ 48.83 लाख मूल्य की हानि उठाई जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

(i) शिलॉग सीमाशुल्क डिवीजन के अतंर्गत आयुक्तालय सीमाशुल्क (एनईआर) शिलॉग में ₹26.81 लाख (उचित मूल्य) मूल्य की पकड़ी गई/जब्त की गई दवाईयों को दिसम्बर 2011 में की गई नीलामी ₹ 8.70 लाख के तीसरे नीलामी मूल्य पर नहीं बेचा गया था, क्योंकि मूल्य बहुत कम था। तत्पश्चात दवाईयां समाप्ति की तारीख के अन्दर नहीं बेची गई थीं तथा इस प्रकार मानव प्रयोग के लिए अयोग्य हो गई जिससे ₹ 8.70 की हानि हुई।

विभाग ने बताया (जून 2013) कि बोली खारिज की गई थी क्योंकि 8.70 लाख की उच्चतम बोली विचारार्थ हेतु बहुत कम थी।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुलक (निवारक) पटना में फोर्ब्सगंज तथा मोतीहारी डिवीजन में ₹23.25 लाख मूल्य की दवाईयों का समाप्ति तारीख के बाद नष्ट करने के रूप में निपटान किया गया था, परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई।

(iii) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निर्यात) मुम्बई ने ड्रग्स के 250 पैकेज जब्त किये (अकतूबर 2003) जो घटिया तथा अवैध थे और इसलिए इन ड्रग्स को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(बी) के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही नष्ट कर दिया गया (सितम्बर 2011)। इसके अतिरिक्त नष्ट करना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 113(डी) के तहत जब्ती किये बिना एवं जब्ती के आठ वर्षों के पश्चात किया गया था।

7.14 श्रेणी IV–सभी अन्य माल

उपरोक्त तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध न किया गया अन्य सभी माल इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले माल का निपटान सभी उचित औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात किया जाना था और जब माल के निपटान के बारे में अतिम निर्णय होने पर किया जाना होता है।

31 मार्च 2013 को, सारे देश में 19 कमिश्नरियों में श्रेणी- IV के तहत ₹ 387.94 करोड़ मूल्य का माल निपटान हेतु लम्बित था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

(i) आठ कमिश्नरियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि श्रेणी (मशीनरी, रैफ्रिजरेशन गैस, जूते तथा अन्य) तहत ₹ 5513.93 लाख का माल पकड़ा गया/जब्त किया गया था (परिशिष्ट 45) परन्तु प्रावधानों/अनुदेशों के विपरीत निपटान हेतु तैयार हो जाने बाद भी 1987 से निपटान नहीं हुआ था, परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

विभाग का पकडा गया और जब्त किया गया माल के निपटान पर नियम पुस्तिका के पैराग्राफ 16.8 (क) में निर्धारित किया गया है कि जहाँ कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, वहाँ वन्य जीवन ट्राफी, जानवरों के अंग, उत्पाद इत्यादि शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से सरकारी संगठनों, सार्वजनिक संग्रहालयों में नमूनों के रूप में उनका उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्य वन्य जीवन वार्डन अथवा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय वन्य जीवन प्राधिकरणों को प्रस्तुत किये जाए।

कमिश्नरी, सीमा शुल्क, (निवारक) मुम्बई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हाथी दांत के 42 नग जब्त किए गए थे (1992)। यद्यपि, अभियोजन प्रक्रिया 1995 तक पूरी हो गई और कोई अपील लम्बित नहीं थी, फिर भी कमिश्नरी ने अक्टूबर 2010 के बाद हाथी दांत के लिए वन्य जीव प्राधिकरणों के साथ मामलें को जारी नहीं रखा। इस प्रकार, कमिश्नरी के निरूत्साहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण हाथी दांत अभी उनके पास पड़े थे।

7.15 चोरी/उठाईगिरी एवं जब्त/जब्ती माल की कमी के कारण हानि

बोर्ड के परिपत्र सं. 393/91/98-सीमा शुल्क (एएस) दिनांक 12 नवम्बर 98 के अनुसार गोदाम के संरक्षक/प्रभारी अधिकारी को चोरी और उठाईगिरी के प्रति पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए और माल की स्थति पर निगरानी रखनी चाहिए। इसके अलावा, सभी मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं ध्यान देना चाहिए कि संरक्षण, कीमती सामान सहित जब्त/जब्ती माल के निपटा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/सुरक्षा उपायों को अपने क्षेत्राधिकार में ईमानदारी लागू करना है जिससे की माल की हानि या चोरी या हेराफरी या प्रतिस्थापन के मामलों से बचा जा सके।

(i) कमिश्नरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सिलीगुड़ी सीमा शुल्क डिवीजन में विभाग को 2010-11 से 2011-12 के दौरान दवाईयों (खांसी का सीरप), चीनी मोबाइल फोन, कपड़ो और दूसरे माल की चोरी के कारण ₹ 81.30 लाख मूल्य के राजस्व की हानि हुई।

(ii) 2008 से 2012 के दौरान ₹ 17.96 लाख मूल्य के माल की चोरी के आठ मामलें कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल के अधीन पेट्रोपोल सीमा शुल्क सर्किल में देखे गए थे। इसके अलावा, ₹ 0.92 लाख के मूल्य का माल भी गोदाम के पदभार सौंपने एवं लेने के समय कम (दिसम्बर 2012) था।

(iii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता के अधीन विशेष निपटान सेल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि क्रेता को एकीकृत परिपथ के 48929 नगों की कम आपूर्ति की गई थी जिसके लिए ₹ 2.19 लाख का प्रतिदाय मंजूर किया गया था। माल की कमी की जिम्मेवारी विभाग ने नहीं ली थी।

(iv) कमिश्नरी सीमा शुल्क पटना में, मुज़फ्फरपुर डिविजन में ₹ 2.62 लाख मूल्य के उर्वरकों के 490 बैग अक्टूबर 2012 में ई-नीलामी की आपूर्ति के दौरान कम पाए गए थे।

7.16 अन्य टिप्पणियां

लेखापरीक्षा ने आरक्षित मूल्य से कम माल की बिक्री में कमियों, लम्बी नीलामी प्रक्रिया, जब्त माल का गलत वर्गीकरण और शास्ति के उदग्रहण एवं निपटान आदेश में विलम्ब के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को देखा। कुछ निदर्शी मामलें निम्नलिखित है:

(i) सीमा शुल्क डिवीजन, लखनऊ कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित जब्त माल को जेपीसी में मामले को भेजने और नीलामी प्रक्रिया में कमी के कारण जेपीसी के जब्ती मूल्य और आरक्षित मूल्य से काफी कम पर बेचा गया था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई:

(₹ लाख)

क्रम सं.	माल का विवरण	जब्ती मूल्य	जब्ती की तारीख	जेपीसी का उचित मूल्य	बेचने का मूल्य	बेचने की तारीख	टिप्पणियां
1.	कोस्मेटिक मदें	2.02	07.11.09	1.07	0.23	13.04.11	एनसीसीएफ ने काफी कम कीमत का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार नहीं किया गया और एक वर्ष के व्यतीत होने के बाद विभाग ने नीलामी की (मार्च 2011) और 2री नीलामी में ₹ 35,500 मूल्य की उच्चतम बोली प्राप्त हुई लेकिन माल को अंत में तीसरी नीलामी में बेचा गया था।
2.	रेडिमेड कपड़े	34.39	11.03.08	11.52	10.09	17.03.11	माल फरवरी 2009 में जब्त किए गए थे लेकिन 18 माह के विलम्ब के बाद माल को जेपीसी को दे दिया गया था (दिसम्बर 2010)।
3.	विविध भारतीय माल	0.93	फरवरी 2010	0.85	0.36	27.07.12	विभाग ने नवम्बर 2011 में एनसीसीएफ के प्रस्ताव की अस्वीकृति से आठ माह के विलम्ब के बाद जून 2012 में नीलामी की।

(ii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता में यथार्थवादी कीमत को निर्धारित करने में जीपीसी की विफलता और तीसरी नीलामी में उच्चतम बोली (₹ 28.50 लाख) की अस्वीकृति के कारण चीनी मिट्टी के माल को ₹ 14.41 लाख में 8वीं नीलामी में बेच दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.09 लाख (₹ 28.50 लाख - ₹ 14.41 लाख) की राशि के राजस्व की हानि हुई।

(iii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक) पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत मालदा सीमा शुल्क डिवीजन में सीटीएच 6109 की बजाय सीटीएच 6107 के अन्तर्गत जब्त माल के गलत वर्गीकरण के कारण सहायक आयुक्त (एसएण्डडी) कोलकाता द्वारा बनियान एवं टी शर्ट के बिक्री मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप सीटीएच 6109 के अन्तर्गत इन कपडों के जेपीसी मूल्य की तुलना में ₹ 8.24 लाख की हानि हुई।

(iv) कमिश्नरी सीमा शुल्क, दिल्ली (आईसीडी, पीपीजी और टीकेडी) में लघु कालिक जीवन और समय के बीतने के साथ मूल्य कम होने वाली आयातित मदों (कपडें, जूते, इलेक्ट्रोनिक सामान, मोटर साईकिल, खतरनाक खाद्य सामग्री, रसायन आदि) के 1460 कंटेनर 1990 से 2012 तक बिना निपटान के पड़े हुए थे। इस माल के मूल्य की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई थी।

(v) कमिश्नरी सीमा शुल्क, (निर्यात), मुम्बई में विभाग ने अनुचित निर्यात पर ₹ 226.07 लाख मूल्य के 1500 बैगों में पैक किए गए तम्बाकू युक्त पान मसाला जब्त किए थे। मामले का निर्णय आ गया था (दिसम्बर 2011) और माल को ₹ 10 लाख की एक मुश्त शास्ति लगाकर जब्त किया गया था जोकि माल के मूल्य से तीन गुना कम था, यह सीमा शुल्क अधिनिमय 1962 की धारा 114(i) का उल्लंघन है।

(vi) कमिश्नरी सीमा शुल्क, (निर्यात-एसीसी), मुम्बई में ₹ 50 लाख मूल्य के 5 आईएससीओ ऐरिसकोप, लैंसों से युक्त चार पैकेट 2003 में जब्त किए गए थे और ई-नीलामी के माध्यम से ₹ 3.10 लाख में बेचे गए (मार्च 2013) थे जिसके परिणामस्वरूप सेसटैट के अन्तिम आदेश (जुलाई 2007) के बाद निपटान आदेश (जनवरी 2009) को जारी करने में 17 माह के बिलम्ब निपटान आदेश की तारीख से अन्तिम निपटान में 48 माह के साथ-साथ निपटान आदेश की तारीख से मूल्यांकन में 22 माह के विलम्ब के कारण ₹ 46.90 लाख की हानि हुई।

निपटान नियमावली के पैराग्राफ 6.5 में प्रावधान किया गया कि नीलामी एवं निविदा में उच्चतम बोली जेपीसी के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाएगी यदि बोली उचित मूल्य से अधिक या बराबर या करीब (पाँच *प्रतिशत* से 10 *प्रतिशत* से कम नहीं) है। अन्यथा, माल को दूसरी बार नीलामी एवं निविदा के लिए रखा जाएगा। तथापि, यदि माल को पहली दो नीलामी एवं निविदा में नहीं बेचा जा रहा है तब माल को तीसरी नीलामी एवं निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली पर बेचा जाएगा जो उचित मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक उच्चतम बोली के अध्यधीन होगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

(क) बैंगलोर कमिश्नरी में ₹ 27.35 लाख के मूल्य वाले जब्त किए गए (मार्च 2008) इलेक्ट्रोनिक्स माल के संबंध में जेपीसी ने ₹ 7.73 लाख का उचित मूल्य निर्धारित किया और माल को दो बार ई-नीलामी के लिए रखा गया था। दूसरी ई-नीलामी में ₹ 5.02 लाख की उच्चतम बोली को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और माल को बेचा गया था। दूसरी ई-नीलामी, की उच्चतम बोली जेपीसी उचित मूल्य से 35 प्रतिशत से कम थी और इसकी स्वीकृति उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में थी। तीसरी नीलामी की सिफारिश न करने और कम बोली को स्वीकार करने के कारणों को कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ख) कमिश्नरी सीमा शुल्क (जोन-II) मुम्बई में ₹ 27 लाख के निर्धारणीय मूल्य वाला माल (चार टोयोटा कैमरी कार) को जब्त किया गया था (मई 2010) और सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा इसका मूल्य ₹ 16 लाख (मई 2012) निर्धारित किया गया था और पहली ई-नीलामी मई 2012 के दौरान आयोजित की गई थी। इसके अलावा, मार्च 2013 तक माल की 13 बार ई-नीलामी की गई थी, किन्तु बोली राशि को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और माल परिपत्र के प्रावधानों के उल्लंघन में गोदाम में पड़ा हुआ था जो विशेष रूप से कथित करता है कि माल को तीसरी नीलामी एवं निविदा में बेच दिया जाएगा। यदि कोई खेप तीसरी नीलामी में नहीं बेची जाती तब आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या जेपीसी के पास बेचे न गए शेष माल के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। किन्तु विभाग द्वारा अब तक ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

(ग) कमिश्नरी सीमा शुल्क, मुम्बई में विभिन्न माल मुख्यत: खराब होने वाले माल (रसायन, मशीनरी पार्ट्स, पीवीसी रेजिन, धागा, प्लास्टिक फिल्म और हल्का ईंधन तेल आदि) की 100 खेपों को 25 वीं नीलामी के बाद भी नीलाम नहीं किया गया था और माल निपटान के लिए 1997 (प्लास्टिक फिल्म, मशीनरी) से 2012 (इलेक्ट्रोनिक माल) तक विभाग के पास पड़ा हुआ था।

विभाग की ढिलाई के कारण उपयुक्त माल का निपटान न करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई क्योंकि माल एक अवधि के बाद खराब हो जाना है और अन्ततोगत्वा इसकी कम या शून्य कीमत प्राप्त होगी।

(घ) नोयडा कमिश्नरी के अधीन आईसीडी, दादरी में ₹ 22.44 लाख मूल्य के 3360 आयातित पोलिश किए गए संगमरमर के स्लैब पकडे गए थे और जब्त किए (मार्च 2006) गए थे। जेपीसी ने ₹ 11.83 लाख के रूप में इसका उचित निर्धारित किया था (17 जनवरी 2008) परन्तु जेपीसी द्वारा इसे बिना कोई कारण बताए ₹ 24.19 लाख के रूप में पुन: निर्धारित किया गया था (3 दिसम्बर 2008)।

आगे यह देखा गया कि ई-नीलामी तीन बार आयोजित की गई थी (क्रमश: 20 जनवरी 2009, 26 फरवरी 2009 और 12 मार्च 2009) जिनमें दरें पहली जेपीसी मूल्य के करीब आई लेकिन विभाग ने बोलीदाता के उद्धृत मूल्य को स्वीकार नहीं

किया। इसके अलावा, ई-नीलामी दिनांक 26 फरवरी 2009 को 13 मार्च 2009, अर्थात तीसरी ई-नीलामी के बाद विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसके पश्चात कोई ई-नीलामी अब तक नही की गई है और माल अभी तक विभाग के पास पड़ा हुआ है। विभागीय निरीक्षण (दिसम्बर 2007) से पता चला कि संगमरमर एक समय के बाद पीला पड़ जाएगा।

(ङ) चार कमिश्नरियों में बही मूल्य और वास्तविक ब्रिक्री प्राप्तियों के बीच अंतर था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 151.51 लाख की कम वसूली की गई जिसे **परिशिष्ट 46** में तालिकाबद्ध किया गया है।

7.17 नीलाम किए गए माल की डिलीवरी

विभाग की निपटान नियमावली में भुगतान की अन्तिम तारीख से आगे मुक्त अवधि के रूप में तीन कार्य दिवसों को निर्धारित किया गया है। आयुक्त अपने विवेक से डिलीवरी लेने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है लेकिन 10 दिनों से अधिक नहीं। निर्धारित मुक्त समय सीमा के अन्दर क्रेता द्वारा माल के उठान में किसी चूक के मामलों में माल को केवल प्रधान (आयुक्त) को क्रेता द्वारा भूमि किराया के भुगतान के बाद ही उठाया जा सकता है।

वर्ष 2012-13 के लिए कमिश्नरी, सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ के अन्तर्गत सीमा शुल्क डिवीजन, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डिवीजन के गोदाम में पड़े हुए वाहनों में से 15 की सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस 5 मार्च 2012 और 24 सितम्बर 2012 को आयोजित जेपीसी की बैठकों के बाद डिवीजन कार्यालय द्वारा जारी किया (जनवरी 13) गया था। सार्वजनिक नीलामी के लिए निविदा 24 जनवरी 2013 को खोली गई थी और 15 वाहनों में से सात वाहनों को बोलीदाता द्वारा 7 फरवरी 2013 को और एक वाहन को 10 दिनों की अनुमत मुक्त अवधि से अधिक के विलम्ब के बाद 21 फरवरी 2013 को उठाया गया था जिसके लिए कोई भूमि किराया वसूल नहीं किया गया था।

कमिश्नरी सीमा शुल्क, निवारक मुम्बई में लेडिज हैण्डबैग्स की दो खेप ई-नीलामी (दिसम्बर 2010) के लिए रखी गई थी और ई-नीलामी में क्रमश: ₹ 0.31 लाख और ₹ 12.22 लाख दरों का प्रस्ताव एक बोलीदाता द्वारा दिया गया था जिसने विभाग के पास ₹ 3.13 लाख की प्रत्याभूति राशि जमा की थी (जनवरी 2011) लेकिन माल को नहीं उठाया था। इस प्रकार, विभाग के लिए प्रत्याभूति राशि

जब्त करना और पुन: ई-नीलामी आमंत्रित करना अपेक्षित था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

कमिश्नरी सीमा शुल्क, पटना में मुज़फ्फरपुर डिवीजन ने सफल बोलीदाताओं से सुपुर्दगी आदेश को जारी करने के बाद माल को उठाने में 20 से 200 दिनों के बिलम्ब के लिए कोई भूमि किराया वसूल नहीं किया था।

7.18 निष्कर्ष

विभाग द्वारा पकड़े गए और जब्त किए गए माल के निपटान की प्रणाली अभिलेखों के उचित रख रखाव के अभाव, दस्तावेजीकरण की अपर्याप्त गुणवत्ता, लक्ष्यों का गैर-प्रक्षेपण, अधिनिर्णय में विलम्ब के साथ साथ, निर्धारित दिशानिर्देशों के अननुपालन के द्वारा विशेषीकृत थी जिसके परिणामस्वरूप माल के निपटान में विल्म्ब, भण्डारण स्थान का अवरोधन और सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई।

ख. सामान्य आयात मालसूची और सामान्य निर्यात मालसूची

7.19 प्रस्तावना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 के अनुसार आयातित माल की ढुलाई करने वाले पोत या विमान के प्रभारी व्यक्ति या उसका एजेंट सीमाशुल्क स्टेशन पर पोत/विमान के पहुंचने से पहले या वाहन के पहुंचने के 12 घण्टे बाद निर्धारित फार्म में एक आईजीएम उचित अधिकारी को सुपुर्द करेगा। मालसूची की फाईलिंग के लिए समय सीमा को उचित अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त कारण देने पर विस्तार योग्य है, जिसके विफल रहने पर प्रभारी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा, जो ₹ 50,000 से अधिक नहीं होगी। आयात मालसूची या रिपोर्ट को संशोधित या अनुपूरक किए जाने की अनुमति है यदि यह निर्णय लिया गया कि यह गलत या अपूर्ण है लेकिन इसका कोई कपटपूर्ण इरादा नहीं है। किसी आयातित माल की अनलोडिंग के लिए पोत के मालिक को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता जब तक कि आयात की मालसूची की सुपुर्दगी नहीं की जाती या उचित अधिकारी संतुष्ट है कि धारा 31 के अंतर्गत इसकी सुपुर्दगी न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

सामान्य निर्यात मालसूची (ईजीएम) पोत की जलयात्रा से पहले पोत/विमान के मालिक की तरफ से स्टीमर एजेंट द्वारा धारा 41 के अंतर्गत फाईल की जाने वाली समान घोषणा है। इसमें जहाज के स्टोर अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के ब्यौरे सहित कर्मीदल के सदस्यों की गन्तव्य वार सूची जहाज पर लादे गए सभी नौभार के साथ-साथ बोटम नौभार के रूप में ले जाए गए सभी माल के पूरे ब्यौरें शामिल होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने आयात मालसूची की फाईलिंग के लिए आयात मालसूची (एयरक्राफ्ट) विनियमन, 1976/ आयात मालसूची (पोत) विनियमन, 1971 की धारा 30 के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत विनियम बनाए हैं और फार्म निर्धारित किए हैं जिसमें उन्हें फाईल किया जाना चाहिए। तदनुसार, आयात मालसूची को विमान/पोत में ले जाए गए सभी माल को कवर करते हुए अनुलिपि में फाईल करना है। पोत के संबंध में मालसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एन्ट्री इन्वाईस के लिए आवेदन पत्र - फार्म। (ii) सामान्य घोषणा – फार्म II (iii) समुद्री माल घोषणा – फार्म III (iv) पोत स्टोर की सूची – फार्म iv (v) मालिक, अधिकारियों और कर्मी दल के आधिपत्य में सम्पत्ति (निजी) के फार्म v में सूची।

उपरोक्त दस्तावेजों में गलत घोषणा के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (एफ) एवं 112 के अंतर्गत दाण्डिक प्रावधानों का उल्लेख है।

लेखापरीक्षा ने 01.04.2010 से 31.03.2013 के दौरान 11 सीमाशुल्क कमिश्नरियों के अंतर्गत 14 कस्टम हाउस में फाईल की गई आईजीएम/ ईजीएम की नमूना जांच की **(परिशिष्ट 47)**।

7.20 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.20.1 आयात (टिप्पण) विभाग से आईजीएम की प्राप्ति न होना/विलम्ब से प्राप्ति

मालसूची मंजूरी विभाग (एमसीडी) नियम पुस्तक के पैराग्राफ 3 (परिशिष्ट ए, क्र.सं. 1) के अनुसार आईजीएम को पोत के एन्ट्री इन्वाईस के 60 दिनों के अन्दर आयात विभाग से एमसीडी में प्राप्त किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आईजीएमज नियमित रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं तब एमसीडी नियमपुस्तक के पैराग्राफ 5 के अनुसार "सामान्य आयात मालसूची की प्राप्ति" का रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा और इन सभी मालसूचियों की प्रविष्टि संबंधित प्रविष्टियों के प्रति उल्लिखित प्राप्ति की तारीख सहित परिक्रमण संख्या के क्रम में की जाएगी।

कोलकाता, मैंगलोर, करवार एवं बैंगलोर में चार कस्टम हाउस में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ईडीआई प्रणाली के माध्यम से आयात विभाग में फाइल किए गए 19366 आईजीएमज में से 15266 आईजीएम (79 प्रतिशत) एमसीडी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे **(परिशिष्ट 48)**।

कमिश्नरी सीमा शुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली ने सूचित किया (जून 2013) कि आईजीएमज की प्राप्ति पर सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि एमसीडी ईडीआई प्रणाली के शुरू होने के बाद अप्रचलित हो गई थी।

कांडला कस्टम हाउस में एमसीडी को 1347 आईजीएमज भेजने में 47 दिनों (60 दिनों की समय सीमा की निर्धारित अवधि से अधिक) तक का हुआ विलम्ब ध्यान में आया था। विभाग ने अपने जवाब में कहा (जून 2013) कि कथित प्रक्रियात्मक चूकों के सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

कांडला कस्टम हाउस में 2010-11 से 2012-13 के दौरान एमसीडी को आयात टिप्पण विभाग द्वारा भेजे गए कई आईजीएमज में और एमसीडी के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त हुए कई आईजीएमज में विसंगति देखी गई थी। लेखापरीक्षा ने संबंधित अनुभागों से उपरोक्त विसंगति के समाधान मांगे थे। उत्तर में आयात टिप्पण अनुभाग ने इसके आंकड़ें की पुष्टि की जबकि एमसीडी अनुभाग ने कहा कि आंकड़ों में अंतर दो माह के बाद एमसीडी द्वारा प्राप्त आईजीएमज की प्राप्ति की वजह से था **(परिशिष्ट 49)**।

लेखापरीक्षा ने निश्चयपूर्वक कहा कि ये टिप्पणियां दो विभागों के बीच समन्वय/प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव की सूचक थी। विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और भविष्य में सावधानी लेने का आश्वासन दिया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.2 आईजीएमज को देर से फाईल करने के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30(1) के अंतर्गत आयात मालसूची पोत या विमान के पहुंचने से पहले प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। यदि आयात मालसूची को निर्धारित समय में उपयुक्त अधिकारी को सुपुर्द नही किया गया है और यदि उपयुक्त अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे तब प्रभारी व्यक्ति या एजेंट के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा जो ₹ 50,000 से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से विमान/पोत के पहुंचने के बाद 1 से 23 दिनों के बीच की अवधि के लिए कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मैंगलोर और बैंगलोर के पांच कस्टम हाउस में 1992 आईजीएमज की देर से फाईलिंग का पता चला जिसके लिए ₹ 9.96 करोड़ तक उदग्रहणीय शास्ति नहीं लगाई गई थी **(परिशिष्ट 50)**।

कस्टम हाउस एयरकार्गो कॉम्पलैक्स (एसीसी), अहमदाबाद ने सूचना दी (सितम्बर 2013) कि 178 आईजीएमज के संबंध में कोई शास्ति उद्ग्राह्य नहीं थी क्योंकि उपयुक्त प्राधिकारी आईजीएम के देरी से प्रस्तुतीकरण के लिए कारणों से संतुष्ट था। तथापि, विभाग ने आईजीएम फाईलिंग में विलम्ब के लिए कारणों को प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर उन्होनें शास्ति न लगाने का निर्णय लिया।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (एयरपोर्ट), कोलकाता ने कहा (जुलाई 2013) कि इस संबंध में कार्रवाई आरंभ की गई है।

हैदराबाद -II कमिश्नरी ने कहा (जुलाई 2013) कि विलम्ब अगस्त से सितम्बर 2011 के दौरान 1.0 वर्जन से 1.5 तक ईडीआई के उन्नयन के कारण हो सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2011 के बाद ईडीआई के उन्नयन के बाद भी विलम्ब हुआ था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क, मैंगलोर ने जवाब दिया (जुलाई 2013) कि पहुंचने की तारीख की बजाय पोत की गोदी पर लगने की तारीख पर विचार करना होगा। जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार आईजीएम पोत के आगमन से पहले फाईल किया जाना है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.3 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत कम उतारे गए माल के लिए शास्ति का उद्ग्रहण न करना

एमसीडी नियमपुस्तक के पैराग्राफ 70 के अनुसार कम उतारे गए माल जिसे धारा 116 के अंतर्गत उनके द्वारा लेखा में नहीं लिया गया है, के संबंध में शास्ति लगाने और उगाही के लिए स्टीमर एजेंट के प्रति एमसीडी द्वारा तुरंत एवं शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 116 के अनुसार पोत/वाहन के प्रभारी व्यक्ति या उसके एजेंट शास्ति के लिए दायी है जो शुल्क की राशि के दोगुना से अधिक नहीं होगी जोकि लदान न किए गए माल या खराब माल, जैसा भी मामला हो पर प्रभारित होगी, यदि ऐसा माल आयातित किया गया है।

कोलकाता, अहमदाबाद, करवार और तुगलकाबाद में चार कस्टम हाउस में आईसीडी के अभिलेखों की नमूना जांच से 82 मामलों में माल की कम उतराई का पता चला। माल की कम उतराई के 18 मामलों के संबंध में ₹ 37.88 लाख की राशि की शास्ति का पता चला जबकि शुल्क आंकडों की अनुपलब्धता के कारण शेष 64 कम उतराई के मामलों के संबंध में उक्त निश्चय नहीं था **(परिशिष्ट 51)**।

कस्टम हाउस, एयरकार्गो कॉम्पलैक्स (एमसीडी), अहमदाबाद ने बताया कि 6 आईजीएम के अंतर्गत कम उतारे गए माल को बाद की तारीख पर प्राप्त किया गया था और बीई समस्त मात्रा के लिए फाईल की गई थी जिसके लिए पूरे शुल्क का भुगतान किया गया था। इसलिए, सरकार का राजस्व पूर्ण रूप से सुरक्षित था और कोई दाण्डिक कार्रवाई न्यायसंगत नही थी।

विभाग के जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि केवल कम उतारे गए माल के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में दाण्डिक प्रावधान मौजूद है जिन्हें बाद की तारीख पर कम उतारे गए माल की शेष मात्रा के आयात द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जा सका।

कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013/जनवरी 2014) कि 74 मामलों में से 6 मामलों में शास्ति की वसूली की गई थी, 5 मामलों में शास्ति लगाई गई थी, 14 मामलों में आउट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज) प्राप्त हुई थी और 9 मामले प्रक्रियाधीन है **(परिशिष्ट 52)**।

यह एमसीडी पुस्तक के प्रावधानों के अननुपालन और निगरानी करने वाले विभागों के बीच समन्वय के अभाव का सूचक है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.4 पोर्ट प्राधिकरण/एयरपोर्ट प्राधिकरण से आउट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज) नौभार प्रथक्करण रिपोर्टें (सीएसआरज) की प्राप्ति न होना/देर से प्राप्त होना

एमसीडी नियम पुस्तक के पैराग्राफ 3(परिशिष्ट ए, क्र.सं. XIV) के अनुसार ओटीआर/नौभार प्रथक्करण रिपोर्टें पोत के आगमन की तारीख से दूसरे माह के पहले सप्ताह में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों/एयरपोर्ट प्राधिकरणों से एमसीडी में

प्राप्त की जानी हैं। ओटीआर की प्राप्ति पर एमसीडी को कम उतारे गए माल के आधार पर स्टीमर एजेंटों को मांग पत्र जारी करता है। एमसीडी पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों से ओटीआर की आपूर्ति जारी रखेगा, जिससे कि आईजीएम और ओटीआरज में माल को परस्पर संबंधित करने में असामान्य रूप से विलम्ब न हो और यह आवश्वासन देगा कि माल की कम उतराई के लिए शास्ति न लगाने की संभावना को समाप्त कर दिया गया है।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अधीन कोलकाता कस्टम हाउस में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान फाईल किए गए 7378 आईजीएमज में से 6111 आईजीएमज के संबंध में ओटीआर पोर्ट प्राधिकरणों से एमसीडी से प्राप्त नहीं हुए थे जिसके लिए आयातित माल की कम उतराई के लिए देय दण्डात्मक कार्रवाई, यदि कोई है, लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

कस्टम हाउस, कोलकाता (पोर्ट) ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि 'शून्य' ओटीआर की 588 सं. और कम उतारे गए ओटीआर की 14 सं. 6111 आपत्तिजनक आईजीएमज के प्रति अगस्त और दिसम्बर 2013 के बीच पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त की गई थी। तथापि, कम उतारे गए ओटीआर के प्रति विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की गई थी (मार्च 2014)।

इसी प्रकार, कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के संबंध में, फाईल किए गए आईजीएम के कथन से यह देखा गया कि 22818 आईजीएमज फाईल किए गए थे लेकिन विभाग इन आईजीएमज के संबंध में कोई नौभार पृथक्करण रिपोर्ट (सीएमआर) प्रस्तुत नहीं कर सका था।

विशाखापत्तनम पोर्ट में 64 मामलों में ओटीआरज़ पोत के आगमन के 60 दिनों की समाप्ति की तिथि से 6 से 582 दिनों के विलम्ब के बाद एमसीडी में प्राप्त किए गए थे।

कस्टम हाउस विशाखापत्तनम (पोर्ट) ने टिप्पणी को स्वीकार किया था।

कच्छ कमिश्नरी के अधीन कस्टम हाउस कांडला में आईजीएमज के संबंध में ओटीआरज वित्तीय 2010-11 से 2012-13 के दौरान पोर्ट प्राधिकरण के साथ एमसीडी द्वारा न तो प्राप्त किए गए थे न ही अनुसरण किए गए थे।

विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

हैदराबाद-।। कमिश्नरी के अन्तर्गत एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, आरजीआई एयरपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान फाईल किए गए 25820 आईजीएमज के प्रति 5899 सीएसआरज प्राप्त नहीं किए गए थे। विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2013) कि यह अन्तर विमानों, जहाँ कोई नौभार उतारा नहीं गया था, के संबंध में संरक्षकों द्वारा सीएसआरज प्रस्तुत न करने के कारण था।

यह जवाब एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जबकि संरक्षकों से आयातित माल की उचित खोज को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आईजीएम के संबंध में सीएसआरज प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.5 मांग पत्र जारी न करना या जारी करने में विलम्ब

एमसीडी नियम पुस्तक के पैराग्राफ 62, 63, 64 और 65 के अनुसार मालसूची की संवीक्षा के बाद मालसूची मंजूरी विभाग पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत ओटीआरज के साथ मालसूची के समाधान द्वारा आयातित माल को उतारने में त्रुटियों को अभिनिश्चित करता है और चिन्हित आयातित माल की कम उतराई के मामले में पोत के आगमन के 120 दिनों के अन्दर कम उतारे गए माल हेतु स्पष्टीकरण मांगने के लिए मांग पत्र (एलओसी) जारी करता है। एलओसीज जारी करने में विलम्ब संबंधित एजेंट से धारा 116 के तहत शास्ति की वसूली को प्रभावित कर सकता है।

विशाखापत्तनम कस्टम हाउस और मैंगलोर कस्टम हाउस के 17 मामलों में 26 दिनों से 120 दिनों से अधिक 235 दिनों के बीच का विलम्ब एलओसीज जारी करने में देखा गया था **(परिशिष्ट 53)**।

कस्टम हाउस विशाखापत्तनम (पोर्ट) ने आपत्ति को स्वीकार किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.6 अधिनिर्णय और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 116 के अंतर्गत शास्ति का उद्ग्रहण

एमसीडी नियम पुस्तक के अध्याय VII में अधिनिर्णयन और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत शास्ति के उद्ग्रहण को डील किया जाता है। कस्टम हाउस में एमसीडी को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अनुसार कम उतारे गए माल के प्रति शास्ति लगाने और उसकी वसूली के लिए स्टीमर एजेंट के प्रति समय पर और शीघ्र कार्रवाई की जानी है। एमसीडी नियमपुस्तक के पैरा 86(ए) के अनुसार निर्णायक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शास्तियों की शीघ्रता से वसूली की जानी अपेक्षित है और शास्तियों की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लम्बे समय से बकाया शास्ति के मामले में धारा 142 के प्रावधान शास्तियों की वसूली के लिए होने चाहिए।

कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी के अधीन कोलकाता कस्टम हाउस में लेखापरीक्षा ने पाया कि 5 मामलों में नये सिरे से अधिनिर्णयन नहीं किए गए थे और 3 मामलों में विभाग ने ₹30.81 लाख की शास्ति लगाने के लिए निर्णायक औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी **(परिशिष्ट 54)**।

विभाग ने सूचना दी (दिसम्बर 2013) कि ₹ 24.09 लाख की शास्ति वाले 3 मामले अधिनिर्णित किए गए थे, जिसमें से ₹23.32 लाख की शास्ति वाले एक मामले को छोड़ दिया गया था जबकि दो मामलों में से ₹ 0.20 लाख की वसूली की पुष्टि की गई थी।

विशाखापत्तनम कस्टम हाउस मे दूसरे 3 मामलों में ₹ 28.17 लाख की कुल शास्ति वसूली गई थी जबकि समान राशि वसूली नहीं गई थी क्योंकि स्टीमर एजेंटों ने शास्ति के उद्ग्रहण के प्रति अपील को अधिमन नहीं दिया था **(परिशिष्ट 55)**।

प्रबल रूप से मामलों का अनुसरण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप आयातकों के पास अनुचित वित्तीय संचयन हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.7 माल उतराई के बाद अभिरक्षक के पास पड़े हुए निकासी न किए गए/दावा न किए गए आयातित नौभार

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अंतर्गत् यदि आयातित माल को उनकी उतराई के 30 दिनों के अन्दर या ऐसी विस्तारित अवधि, जिसे सहायक आयुक्त सीमाशुल्क ने अनुमत किया हो, के अन्दर धरेलू खपत, भांडागार या यानान्तरण के लिए मंजूर नहीं किया गया है या यदि किसी आयातित माल के अधिकार को छोड़ दिया गया है, तब ऐसे माल को आयातक को नोटिस देने के बाद और उपयुक्त अधिकारी की अनुमति से अभिरक्षक व्यक्ति द्वारा बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150(2) के प्रावधान के अनुसार इसमे शामिल शुल्क को वसूली गई बिक्री प्राप्तियों से सीमाशुल्क को दिया जाना चाहिए।

सात कस्टम हाउस पर अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मार्च 2013 तक 8727 आयातित परेषणों की निकासी नहीं/दावा नहीं किया गया था जिसके कारण कम से कम 2348 आईजीएमज का समापन नहीं हुआ। इसके अलावा इसके कारण राजस्व का अवरोधन हुआ जिसे 246 परेषणों जहाँ प्रविष्टि बिल फाईल किए गए थे, में ₹ 21.89 करोड़ की सीमा तक अभिनिश्चित किया जा सकता था। तथापि, शेष मामलों में निकासी न किए गए माल के निपटान न करने के कारण राजस्व के अवरोधन की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग ने निकासी न किए गए माल में निर्धारणीय मूल्य को प्रस्तुत नहीं किया था **(परिशिष्ट 56)**।

7.20.8 मालसूची में न डाले गए/अनुचित रूप से आयातित माल पर शास्ति का उद्ग्रहण न करना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 32 के अनुसार आयात मालसूची में उल्लिखित किए जाने वाले अपेक्षित आयातित माल को उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के अलावा किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक कि उस सीमाशुल्क स्टेशन पर उतारे जाने वाले माल के लिए ऐसी मालसूची में उनकी उल्लेख न किया गया हो। किसी शुल्क योग्य या निषिद्ध माल का आयात मालसूची में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है जिसका इसमें उल्लेख भी नहीं किया गया है और जिसे भारत के बाह्य स्थान से लाया गया

है वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 111(एफ) के अंतर्गत जब्ती के लिए दायी होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 112 के अनुसार ऐसे कार्य, जिसके लिए माल धारा 111 के अंतर्गत जब्ती करने के लिए दायी थे, में शामिल व्यक्ति, निषिद्ध माल को छोड़कर शुल्क योग्य माल के मामले जो ऐसे माल पर टाल देने वाले शुल्क या पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, जो भी ज्यादा हो, में शास्ति का दायी होगा।

एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, अहमदाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एक मालसूची में न डाले गए नौभार आईजीएम स. 304195 दिनांक 22 जुलाई 2012 के नौभार सहित प्राप्त हुआ था और तदुपरांत आईजीएम सं. 305809 दिनांक 26 जुलाई 2012 के अंतर्गत ₹ 3.10 लाख के शुल्क भुगतान पर बीई 7421149 दिनांक 18 जुलाई 2012 के माध्यम से इसकी निकासी की गई थी, यद्यपि यह आयातित माल को कवर नहीं करता। तथापि, इस गैर-मालसूचीबद्ध मामले में उदग्राह्य ₹ 3.10 लाख की शास्ति लगाई नहीं गई थीं।

ईडीआई-स्क्रीन शॉट को प्रस्तुत करते हुए कस्टम हाउस एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, अहमदाबाद ने कहा (सितम्बर 2013) कि मास्टर एयरवेज बिल (एमएडब्ल्यूबी)(सं. 61860415191) और बीई (सं. 7421191 दिनांक 18 जुलाई 2012) दोनों आईजीएम सं. (305809 दिनांक 26 जुलाई 2012) को दर्शा रहे थे जो इंगित करते हैं कि एमएडब्ल्यूबी के अंतर्गत माल आईजीएम (सं. 305809) में समाविष्ट है।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि आईजीएम सं. 304195 दिनांक 22 जुलाई 2012 के लिए मैसर्स सिंगापुर एयरलाईन्स कार्गो पीटीई लि. की आईजीएम रिपोर्ट (हार्ड कॉपी) ने स्पष्ट रूप से एमएडब्ल्यूबी सं. 6186051519 को दर्शाया क्योंकि प्राप्त हुआ नौभार मालसूची में निर्दिष्ट नहीं था और आईजीएम सं. 305809 दिनांक 26 जुलाई 2012 के साथ संलग्न एडब्ल्यूबी की सूची में उपरोक्त एमएडब्ल्यूबी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

कस्टम हाउस मैंगलोर में 22 आईजीएमज के परिपत्र सं. 13/2005-सीमाशुल्क दिनांक 11 मार्च 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिनिर्णयन एवं शास्ति के

उद्ग्रहण के बिना मालसूची में न डाले गए आयातित माल को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था **(परिशिष्ट 57)**।

विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि परिपत्र सं. 44/2005 सीमाशुल्क दिनांक 24 नवम्बर 2005 के अनुसार अधिनिर्णयन केवल कपटपूर्ण उद्देश्य या पर्याप्त राजस्व निहितार्थ वाले प्रमुख संशोधन के मामले में अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि पहले से घोषित माल की मात्रा में संशोधन को परिपत्रसं.13/2005-सीमाशुल्क में निर्दिष्ट प्रमुख संशोधन की श्रेणी के तहत कवर किया गया है, इसलिए ऐसे सभी मामलों को संशोधन से पहले अधिनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

एयरकार्गो कॉम्पलेक्स, कोलकाता में यह देखा गया था कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान 9308 पैकेट अधिक उतारे गए थे, लेकिन विभाग द्वारा आरंभ की जाने वाली कोई दाण्डिक कार्रवाई नहीं पाई गई थी।

7.20.9 आईजीएमज का समापन न करना

एमसीडी नियम पुस्तक के अध्याय VIII में सहायक/उपायुक्त सीमाशुल्क (एमसीडी) के अनुमोदन से आईजीएमज के समापन के लिए 10 मास की समय सीमा (पोत के आगमन की तारीख से) का प्रावधान किया गया है, जबकि आईजीएम के अंतर्गत आयातित सभी नौभार की लागू अधिसूचना/आदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान या शुल्क मुक्त पर, यायानान्तरण अनुमति या अन्यथा के द्वारा संतोषजनक व्याख्या पर निकासी कर दी गई है। यदि किसी कारण से आईजीएम द्वारा कवर किए गए कुछ आयातों की लम्बे समय से निकासी नहीं की गई है तब निपटान की निगरानी के लिए शेष मदों को "लम्बित रजिस्टर/निपटान रजिस्टर" में स्थानान्तरित करने के बाद मालसूची को बंद कर दिया जाता है।

आठ कस्टम हाउस के सदस्यों के सम्बन्ध में 2010-11 से 2012-13 के दौरान ईडीआई में फाईल किए गए आईजीएमज के वर्षवार ब्यौरे और उनकी बकाया स्थिति निम्नानुसार थी।

वर्ष	फाईल किए गए आईजीएमज	समापन किए गए आईजीएमज	लम्बित आईजीएमज
2010-11	35521	13089	22432
2011-12	33688	13348	20340
2012-13	32453	12759	19694

*2012-13 के प्रति उल्लेख किए गए कुछ मामले समापन के लिए अभी कुछ समय शेष हैं जैसाकि निर्धारित समय सीमा 10 माह है।

आठ कस्टम हाउस की सांख्यिकी से पता चला कि आईजीएमज का समापन उनकी प्राप्ति के अनुरूप नहीं था जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीनता की संख्या में वृद्धि हुई।

आईजीएमज की उच्च विचाराधीनता ने दर्शाया कि आईजीएमज के समय पर समापन के लिए बनाई गई प्रक्रिया के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे जिसके बदले में हेराफेरी, ह्रास, क्षति आदि की संभावना में और सीमाशुल्क विभाग को राजस्व की परिणामी हानि में वृद्धि हुई।

कुछ निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया गया है:-

(क) संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंर्तगत कोलकाता कस्टम हाउस में फाईल किए गए 7378 आईजीएमज और कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत एयरकार्गो एनएससीबीआई एयरपोर्ट में फाईल किए गए 22,818 आईजीएमज में से किसी का भी समापन नहीं पाया गया था **(परिशिष्ट 58)** (स्त्रोत: विभाग से प्राप्त हुए ईडीआई आयात डाटा)। कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013) कि ईडीआई प्रणाली का उन्नयन करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में आईजीएम के समापन के लिए ईडीआई प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) कमिश्नरी सीमाशुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली ने सूचना दी (जून 2013) कि आईजीएमज के समापन पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि एमसीडी ईडीआई प्रणाली शुरू करने के बाद बन्द हो गई है।

(ग) कस्टम हाउस कांडला ने बताया (दिसम्बर 2013) कि 2343 आईजीएमज 31 मार्च 2013 तक समापन के लिए लम्बित थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.10 परिचालन अपक्रिया के दूसरे मामले

i आईजीएमज के प्रति आवक तारीख का अभाव

पोत के आगमन पर नौपरिवहन को एन्ट्री इन्वर्डस देने के लिए निवारक अधिकारी से पहुंच करने की आवश्यकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 31 में अपेक्षा की जाती है कि पोत का मालिक किसी आयातित माल को उतारने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि ऐसे पोत के लिए एन्ट्री इन्वर्डस प्रदान करने वाले उपयुक्त अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया जाता। सामान्यत: एन्ट्री इन्वर्डस केवल आईजीएम की सुपुर्दगी के बाद दिए जाते हैं। एन्ट्री इन्वर्डस की तारीख सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार प्रविष्टि बिल के पूर्व फाईलिंग के मामले में शुल्क की दर का अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, साथ ले जाने वाले सामान, मेल बैग्स, जानवारों, खराब होने वाला एवं खतरनाक माल जैसी मदों की उतराई को इस अनुबंध से छूट दी गई है।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के ईडीआई अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कोलकाता कस्टम हाउस में फाईल किए गए 7378 आईजीएमज में से 318 आईजीएमज में आवक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के ईडीआई अभिलेखों की समान नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान एयरकार्गो कॉम्पलेक्स, एनएससीबीआई एयरपोर्ट में फाईल किए गए 22818 आईजीएमज में से 5906 आईजीएमज के प्रति आवक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (एयरपोर्ट) कोलकाता ने बताया (जुलाई 2013) कि जहाँ यात्री उड़ान कोई नौभार नहीं ले जा रही है वहाँ आवक तारीख की प्रस्तुति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जब नौभार की प्रणाली के माध्यम से निकासी नहीं की जाती तब तक उन मामलों में आवक तारीख प्रस्तुत नहीं की जाती है।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि आवक तारीख 1582 आईजीएमज के प्रति मौजूद नहीं थी जहां उड़ान नौभार ले जा रहा था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (पोर्ट) कोलकाता ने सूचना दी (जुलाई 2013) कि चूक एसी/डीसी, एनएसडी, बज़बज़ की तरफ से थी और उनकी प्रास्थिति पर ध्यान दिए बिना समस्त पोत के लिए प्रणाली में आवक तारीख को फीड करने के लिए उन्हें कहा गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

ii हस्त्य रूप से फाईल किए गए प्रविष्टि बिलों का स्पष्टीकरण न देना और ईडीआई में आईजीएम के प्रति एसईजेड यूनिटों द्वारा की गई निकासियों के प्रविष्टि बिलों के विवरण

एमसीडी नियम पुस्तक में संबंधित आईजीएम की आईजीएम लाइन और संबंधित प्रविष्टि बिलों, पोत की फाईल में यायानान्तरण अनुमतियों को रखने के प्रति प्रविष्टि बिलों की पोस्टिंग द्वारा आईजीएम के समापन के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। आयातों के लेखाकरण का उद्देश्य इलेक्ट्रानिक रूप से यह सुनिश्चित करते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है कि आयातित माल की सभी निकासियों को आईजीएमज की संबंधित लाइनों के प्रति ईडीआई में दर्शाया गया है।

हैदराबाद-।। कमिश्नरियों के अंतर्गत एसीसी, आरजीआई एयरपोर्ट पर ईडीआई में आईजीएम प्रास्थिति की नमूना जांच से पता चला कि 50 मामलों में हस्तलिखित प्रविष्टि बिलों के माध्यम से आयातित माल की निकासियों और 20 मामलों में एसईजेड यूनिटों द्वारा आयातित माल की निकासी को आईजीएम की संबंधित लाइनों के प्रति दर्शाया/फीड नहीं किया गया था और प्रास्थिति की "प्रविष्टि बिल फाईल नहीं किए गए" के रूप में दर्शाया गया था। ऐसे ही समान मामलों को विशाखापत्तनम सीमाशुल्क कमिश्नरी में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, यद्यपि, आयात पूरे हो चुके है फिर भी ईडीआई में ऐसी निकासियों को स्पष्ट न करने के कारण आईजीएमज अनिश्चित अवधि के लिए समापन हेतु लम्बित रहे। जिसके परिणामस्वरूप आईजीएम समापन के लम्बन में वृद्धि हुई है।

हैदराबाद -।। कमिश्नरी ने बताया (जून 2013) कि हस्तलिखित प्रविष्टि बिलों के डाटा को अपलोड करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है किन्तु उन्होंने एसईजेड आयात डाटा को अपलोड करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इसी की संबंधित एसईजेड पर निर्धारित किया गया है।

विभाग का तर्क अनुपयुक्त है क्योंकि पोर्ट/एयरपोर्ट पर सीमाशुल्क प्राधिकरण एसईजेड निकासियों में भी पूर्व निर्धारित प्रविष्टि बिल के ब्यौरों को दर्ज कर सकता है जिसके प्रति आईजीएमज के समय पर समापन के लिए समर्थ एसईजेड यूनिट को पोर्ट/एयरपोर्ट से माल की निकासी की गई थी।

iii अभिलेखों के अनुरक्षण और निगरानी तंत्र में कमी

लेखापरीक्षा ने प्रचालनों के मूल्यांकन और एमसीडी नियम पुस्तक में निर्धारित निगरानी तंत्रकी कमियों/सुदृढ़ बनाने की पहचान करने के लिए बोली में नियंत्रणों की कार्यप्रणाली की जांच करने का प्रयास किया। तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियां देखी गई थी:-

iv अभिलेखों का अपर्याप्त अनुरक्षण

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयात (टिप्पण) विभाग से एमसीडी अनुभाग में आईजीएम की प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था। आयात टिप्पण विभाग से आईजीएमज की लम्बित प्राप्तियों के मामले में अनुसरण भी नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा था। ईडीआई प्रणाली को शुरू करने के बाद एमसीडी को अगली कार्रवाई के लिए ईडीआई के माध्यम से फाईल किए गए आईजीएम के संबंध में आयात (टिप्पण) विभाग से हार्ड कॉपी के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उक्त की प्रतिलिपि को स्वयं ईडीआई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उतराई के बाद अभिरक्षक के पास पडे हुए निकासी न किए गए/दावा न किए गए आयातित नौभार के अभिलेख भी सीमाशुल्क के पास उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

v एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों का अननुपालन और इसमें संशोधन की आवश्यकता

लेखापरीक्षा ने पाया कि लगभग सभी एमसीडी में जहाज की फाईलें आईजीएम वार खोलने और उनके समापन की पद्धति का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा था जिससे पोत से पोर्ट/एयरपोर्ट पर उतारा गया नौभार वर्षा तक ऐसे ही पड़ा रहा। इसके परिणामस्वरूप एमसीडी नियम पुस्तक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, न ही विभाग ने ईडीआई प्रणाली के शुरू करने के बाद इस संबंध में कोई नए अनुदेश जारी किए थे। यह भी महसूस किया गया कि ईडीआई प्रणाली को शुरू करने के बाद एमसीडी नियमपुस्तक के विभिन्न प्रावधान अनावश्यक बन गए क्योंकि एमसीडी का हस्तक्षेप विभिन्न चरणों पर अपेक्षित नहीं था, जो आईजीएम के समापन के लिए ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध प्रावधान का प्रबन्धन करता है। आयुक्त सीमाशुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली, में ईडीआई के शुरू होने के बाद एमसीडी लगभग निष्क्रिय हो गई है क्योंकि आयातित माल पर सभी सरकारी राजस्वों की उगाही को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आईजीएम के प्रति शिप फाईल खोलने और उनके समय पर समापन की आवश्यकता का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। इसके मद्देनजर, एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.21 ईडीआई में अपर्याप्त निगरानी नियंत्रण

1998 में शुरू किया गया सीमाशुल्क का आईसीईएस अनुप्रयोग आईजीएम और ईजीएम को इलैक्ट्रानिक रूप से फाईल करने की सुविधा का प्रावधान करता है किन्तु अब तक यह अनुप्रयोग इलेक्ट्रानिक रूप से आईजीएल के समापन के लिए साफ्टवेयर को विकसित करने में विफल रहा है। प्रणाली को आईजीएमज के समय पर समापन को समर्थ बनाने के लिए ईडीआई डाटा में हस्त्य रूप से निकासियों के डाटा की देख-रेख /फीड करने के लिए भी विकसित नहीं किया गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.22 पोर्ट न्यास प्राधिकरण से आऊट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज)

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमाशुल्क को पोर्ट न्यास प्राधिकरण द्वारा ओटीआरज के प्रेषण की केन्द्रीय रूप से निगरानी नहीं की जा रही थी क्योंकि ओटीआरज कोलकाता पोर्ट पर विभिन्न बर्थों से एमसीडी को सीधे भेजी जा रही थी जिसके कारण आईजीएमज के स्थापन में पर्याप्त विलम्ब हुआ जिसके प्रति ओटीआर जारी नहीं की गई है। इसके बदले में इसने सूचित की गई रकम उतराई के मामले में स्टीमर/शिपिंग एजेंट को मांग पत्र एवं शास्ति लगाने में विलम्ब किया। इसके अलावा यहाँ कम/अधिक उतारे गए माल के मामले में नियमित आधार पर ओटीआरज के साथ मिलान पत्रक प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी ओटीआरज को या तो अधिनिर्णयन या अपीलीय प्राधिकरण स्तर पर माल की कम उतराई के लिए संबंधित स्टीमर एजेंटों के प्रति शास्ति लगाने हेतु वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

कस्टम हाउस कोलकाता (पोर्ट) ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि अभिलेखों के रखरखाव में दक्षता एमसीडी के स्टाफ द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.23 निष्कर्ष

ग्यारह सीमाशुल्क कमिश्नरियों के अन्तर्गत 14 कस्टम हाउस की लेखापरीक्षा जांच ने आईजीएमज की फाईलिंग/समापन से सम्बन्धित सीमाशुल्क अधिनियम में प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांतों को उजागर किया।

लेखापरीक्षा ने आईजीएमज की प्राप्ति में, शिप फाईलों को खोलने, एलओसी के जारी करने, ओटीआर की समय पर प्राप्ति, कम उतारे गए माल के लिए शास्ति के अनुद्ग्रहण या मालसूची में न डाले गए माल की निकासी में एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों से विचलन को देखा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईजीएमज की फाईलिंग एवं समापन के लिए प्रक्रिया का कोडल प्रावधानों के अनुसार निष्ठापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा

रहा था जोकि माल की उतराई/संचलन पर निगरानी नियंत्रण और निर्धारित शुल्क/शास्ति के संग्रहण को क्षीण कर सकता है।

ग. सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडागार

7.24 प्रस्तावना

भांडागारण, दूसरे भांडागारों को उचित शुल्क के भुगतान पर उनकी वास्तविक निकासी या प्रावधान या स्टोर के रूप में विदेश जाने वाले पोत या एयरक्राफ्ट पर उनकी आपूर्ति तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अनुमत अवधि के लिए आयातित माल पर शुल्क के भुगतान को आस्थगित करने के लिए आयातकों को दी गई सुविधा है। भांडागारण के सांविधिक प्रावधानों को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57 से 73 में निर्दिष्ट किया गया है।

20 कमिश्नरियों **(परिशिष्ट 60)** में सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियुक्त किए गए लाईसेंस दिए गए 50 सार्वजनिक एवं 76 निजी अनुबद्ध भांडागारों **(परिशिष्ट 59)** के संबंध में कस्टम हाउस में अनुरक्षित 2010-11 से 2012-13 तक तीन वर्षों के लिए अभिलेखों की अप्रैल 2013 से जून 2013 के दौरान जांच की गई थी।

7.25 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अगले पैराग्राफों में दिया गया है

7.25.1 भांडागार में माल का अधिक धारण

सार्वजनिक अनुबन्ध भांडागार धारा 57 के अंतर्गत शुरू किए गए हैं जबकि निजी अनुबद्ध भांडागारों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अंतर्गत लाईसेंस दिया गया है। लाईसेंस देने या नवीकरण के समय माल एवं शुल्क के मूल्य के संबंध में अधिकतम स्टॉक, जिसे भांडागार में स्टोर किया जा सकता है, का सीमाशुल्क विभाग द्वारा लाईसेंस में उल्लेख किया गया है जबकि यह अनुबद्ध किया गया है कि भांडागार में भंडारित किए गए माल का मूल्य एवं उन पर शुल्क किसी भी समय निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

नमूना जांच से पता चला कि चार[28] कमिश्नरियों के नौ मामलों में 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 270.69 करोड़ मूल्य का अधिक स्टॉक रखा गया था।

निदर्शी मामलों की व्याख्या आगे की गई है:

[28] (तुतीकोरिन-5 मामले; ₹ 179.30 करोड़, मुंद्रा -1 मामला ₹ 72.41 करोड़, आईजीआई एयरपोर्ट (नई दिल्ली)-1 मामला; ₹ 4.98 करोड़ एवं जेएनसीएच, मुम्बई -2 मामले; ₹ 14 करोड़)

(क) अहमदाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत एक निजी अनुबद्ध भांडागार मैं. पीएसएल लिमिटेड के अभिलेखों से पता चला कि भांडागार के लिए अनुमत माल का अधिकतम मूल्य ₹ 20 करोड़ था। तथापि, ₹ 91.28 करोड़ मूल्य के माल का भांडागारण किया गया था।

(ख) तूतीकोरिन कमिश्नरी के अंतर्गत पांच भांडागारों में रखा गया स्टॉक ₹ 179.30 करोड़ की सीमा तक अधिक था।

7.25.2 भांडागारित माल का अपर्याप्त बीमा कवरेज

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा निजी भांडागारों के मामले में परिपत्र सं. 99/95 दिनांक 20 सितम्बर 1995 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भांडागारित माल चोरी, उठाई गिरी, आग, दुर्घटनाओं, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, रायटिंग के प्रति जोखिम इत्यादि के प्रति कम से कम आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित व्यापक बीमा पोलिसी द्वारा सीमा शुल्क के मूल्य के बराबर तक के लिए भांडागार रखपाल द्वारा बीमाकृत किया जाएगा। सार्वजनिक भंडारागारों के संबंध में राजस्व के संरक्षण के लिए इस प्रभाव के लिए कि अनुबंधित माल के सुरक्षित संरक्षण के लिए एक माल लाइसेंस धारक जिम्मेदार होगा, लाइसेंस देने/नवीकरण में खण्ड को छोड़कर समान दिशानिर्देश विद्यमान नहीं थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच कमिश्नरियों (मुम्बई एनसीएच, मुम्बई जेएनसीएच, पुणे, जयपुर एवं चेन्नई) में 15 भांडागारों (5 सार्वजनिक एवं 10 निजी) में इस संबंध में उल्लंघन हुआ था। केवल ₹ 269.25 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी और ये ₹ 819.96 करोड़ मूल्य के शुल्क के सरंक्षण के लिए विकट रूप से अपर्याप्त थी। तीन कमिश्नरियों (चेन्नई, जयपुर और पुणे) के सात सार्वजनिक (पूणे-1, चेन्नई -5, जयपुर -1) और 17 निजी भांडागार (चेन्नई -12, ग्वालियर-2, पुणे-3) के मामले में ₹ 2924.92 करोड़ के शुल्क वाली बीमा पॉलिसी आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित नहीं की गई थी बल्कि भांडागार रखपालों के पक्ष में आहरित की गई थी।

निदर्शी मामलों की व्याख्या आगे दी गई है:

(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चेन्नई कमिश्नरी द्वारा लाईसेंस दिए गए सार्वजनिक/निजी अनुबंध भांडागारों के संबंध में ₹ 2824.82 करोड़ की बीमाकृत राशि के लिए भांडागार रखपालों द्वारा ली गई बडी बीमा पॉलिसी आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित नहीं की गई थी। इसके बजाय, उसे उनके पक्ष में या किसी दूसरे बीमाकर्ता के नाम पर बीमाकृत किया गया था जोकि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है। इसे जून/दिसम्बर 2013 में विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

(ख) मुम्बई-I कमिश्नरी के अंतर्गत सार्वजनिक अनुबंध भांडागारों में 31 मार्च 2013 तक भांडागार में रखे गए स्टॉक पर सीमाशुल्क ₹ 165.10 लाख के बीमाकृत मूल्य के प्रति ₹ 591.88 लाख था जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त बीमा कवरेज और शुल्क की हानि का परिणामी जोखिम हुआ। इसे मई/दिसम्बर 2013 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.25.3 चोरी, आग, कमी आदि के कारण हानि

मुम्बई-I कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, वाशी के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सार्वजनिक अनुबंध भांडागार में उपरोक्त अनुदेशों (केवल 3 होम गार्ड और 5 चौकीदार तैनात किए गए थे) के अनुसार भांडागार रखपालों द्वारा संरक्षण के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के कारण 250 मीटर केबल की चोरी हुई जिसके कारण ₹ 2 लाख तक के राजस्व की हानि और आग जिसमें 6525 सल्फर बैग नष्ट होने के कारण ₹ 15 लाख की हानि हुई।

7.25.4 भांडागारण अवधि का अनियमित/गैर – विस्तारण

सीमाशुल्क अधिनियम,**1962** की धारा 61 के अनुसार निर्धारित भांडागारण अवधि प्रारंभ में एक वर्ष है जिसे आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा छः माह तक और मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जैसा भी वह उचित समझें। ऐसे विस्तारण के लिए आवेदन पत्र भांडागारण अवधि की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित फार्मेट में किया

जाना है, लेकिन प्रमुख आयुक्त द्वारा निर्धारित विस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

i सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन वाशी (मुम्बई) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. एसएमएस सेन्ट्रल सिस्टम प्रा.लि. ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ₹ 6.66 करोड़ मूल्य के "वैन एक्सरे सिस्टम" आयात किए थे और 16 दिसम्बर 2011 को अनुबंध भांडारागार में भेजे गए थे। 11 दिसम्बर 2012 को अनुबंध अवधि की समाप्ति के बावजूद अनुबंध का न तो आगे विस्तारण किया गया था न ही माल की घरेलू खपत के लिए निकासी की गई थी। अनुबंध के विस्तारण के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नही थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 179.86 लाख (शुल्क) तक राजस्व और उस पर ₹ 32.37 लाख के ब्याज की हानि हुई।

ii मै. फलेमिंगो डीएफएस लि. को 7 सितम्बर 2011 तक पहली बार विस्तारण प्रदान किया गया था (फाईल सं. एस/13-22/11-12 दिनांक 31 मई 2011)। इसके अलावा, उक्त अनुबंध की समाप्ति पर दूसरा विस्तारण 6 दिसम्बर 2011 तक दिया गया था (फाईल सं. एस/13-22/11-12 दिनांक 14 नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टॉक में शेष माल (अमारूला क्रीम के 11 नग) को 7 दिसम्बर 2011 को अर्थात भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद बेच दिया गया था। अनुबंध के विस्तारण के संबंध में कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था।

7.25.5 भांडागारण अनुबंधों की गैर/त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अनुसार माल के भाडागारण आयातक से ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की राशि के दोगुना के बराबर राशि के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए एक अनुबंध करना अपेक्षित है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार जब सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया जाए या माल का यथावत लेखांकन कर दिया जाए तो इन अनुबंधों को रद्द किया जाना है।

i लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मुम्बई कमिश्नरी के अंतर्गत 289 मामलों में केवल ₹ 446.56 करोड़ के लिए अनुबंध ₹ 553.10 करोड़ के शुल्क की राशि के दोगुना राशि पर अपेक्षित अनुबंधों के प्रति कार्यान्वित किए गए थे।

ii मै. जेक्वार एण्ड कम्पनी प्रा.लि. यूनिट-।। भिवाड़ी और मैं. लायड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लि. 146 (बीएण्डसी) भिवाड़ी के सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि उन्होंने ₹ 20 करोड़ के लिए अनुबन्ध किया था जबकि यह अनुबंध ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क राशि के दोगुना की बराबर राशि के लिए किया जाना था जो ₹ 70.12 करोड है।

iii मै. बिलकेयर लिमिटेड (पुणे कमिश्नरी) ने सः 2000203249 2000221353 2000242635 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के माध्यम से तीन अनुबंध करके माल का भाडांगारण किया था। आयातक ने भांडागार से सभी माल को एक्स बोण्ड किया था किन्तु अनुबंध रद्द नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क विभाग द्वारा धारा 73 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद (जून 2013) विभाग ने बताया (जून 2013) कि अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं।

7.25.6 घरेलू खपत के लिए भांडागारित माल की निकासी पर शुल्क का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार लागू सीमा शुल्क की दर उस तारीख की दर है जिस पर माल को वास्तविक रूप से भांडागार से हटाया गया है। तथापि, जब भांडागारण अवधि या विस्तारित भांडागारण अवधि समाप्त हो चुकी है तब देय शुल्क उस तारीख से संबंधित था जब भांडागारण /विस्तारित भांडागारण अवधि समाप्त हो चुकी है एवं उठान की वास्तविक तारीख नहीं है। जहॉ तक कि भांडागारित माल के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए मूल्य का संबंध है, वहॉ इसे पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह मूल मूल्य है जैसाकि इसे भांडागारण से पहले

इन्टो-बॉण्ड प्रविष्टि बिल और निर्धारणों के फाईल करने के समय पर अवधारित किया गया है।

(i) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चेन्नई एयर कमिश्नरी के अंतर्गत मै. विंड पावर एनर्जी प्रा.लि. के मामले में एक्स – बॉन्डिंग के समय शुल्क एवं ब्याज को ₹ 0.25 करोड़ की राशि तक कम संग्रहीत किया गया था **(परिशिष्ट 61)**।

(ii) इसी प्रकार कोलकाता में बंगाल बॉडिड वेयरहाऊस एसोसिएशन (बीबीडब्ल्यू) वेयरहाऊस पर मै. स्टाइलिश सीमेंट प्रोडक्टस प्रा.लि. द्वारा की गई एक्स-बॉण्ड निकासी के मामले में आयातक ने बॉडिंग अवधि अर्थात भांडागार से हटाव की मानी गई तारीख, की समाप्ति की तारीख पर लागू दर पर शुल्क के भुगतान की बजाय माल की निकासी की तारीख (बॉण्डिंग अवधि की समाप्ति के बाद) पर प्रचलित शुल्क का भुगतान किया जोकि परिपत्र सं. 31/97 सीमाशुल्क का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.44 लाख की राशि के शुल्क एवं ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ **(परिशिष्ट 61)**।

7.25.7 भांडागारण माल की निकासी पर ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

यदि भांडागारित माल विस्तारण या अन्यथा के कारण आरंभिक भंडागारण अवधि से अधिक भांडागार में रखा जाता है तब ब्याज भांडागार से उनकी निकासी के समय शुल्क पर देय है।

(i) मै. सिपला लिमिटेड एवं अन्यों के संबंध में जेएनसीएच कमिश्नरी, मुम्बई में सीडब्ल्यूसी कालाम्बोली एवं अन्य के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 1.07 करोड़ की राशि तक का ब्याज 90 दिनों की प्रारम्भिक भांडागारण अवधि के बाद निकासी पर उद्ग्रहण नहीं/कम उद्ग्रहण किया गया था।

(ii) इसी प्रकार, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए मै. हेजल मर्केन्टाईल लि. कांडला, अहमदाबाद में एक निजी अनुबंध भांडागार और मै. सेन्ट्रल वेयरहाऊस कार्पोरेशन (सीएफएस) (अदालज), अहमदाबाद एक निजी अनुबंध भांडागार के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 6 लाख की राशि

के भांडागारित ब्याज का 90 दिनों की आरम्भिक अवधि के बाद माल की निकासी के मामले में कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 62)**।

इसके अलावा, अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 के अखिल भारतीय आयात डॉटा के विश्लेषण से आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग द्वारा भांडागारण ब्याज की गलत गणना का पता चला।

7.25.8 भांडागारित माल की अनियमित निकासी

सीमाशुल्क नियम पुस्तक के अध्याय 9 के पैरा 19.4 के साथ पठित केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के परिपत्र सं. 473/291/88 सीमाशुल्क **VII,** दिनांक 3 अक्तूबर 1988 में भांडागारित माल की निकासी के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके प्रावधानों के अनुसार प्रविष्टि बिल, जिसमें माल का कुल मूल्य ₹ 1 लाख से अधिक हो, को अनुबंध भांडागार के प्रभारी एसी/डीसी द्वारा निरवाद रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिल जिसके संबंध में अधीक्षक द्वारा किए गए किसी पुन: निर्धारण को एसी/डीसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(i) 2010-13 की अवधि के लिए मै. जे.के.टायर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. कन्करोली, राजासामंद, राजस्थान के निजी अनुबंध भांडागार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹1 लाख से अधिक के निर्धारणीय मूल्य वाले एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिलों केा प्रभारी एसी/डीसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए बिना अधीक्षक द्वारा निर्धारण पर अनुबंध भाडांगार से मंजूर किया गया था। इस प्रकार एसी/डीसी के प्रति हस्ताक्षर के बिना ₹1.62 करोड़ के शुल्क वाले ₹6.92 करोड़ मूल्य के ₹1 लाख से अधिक के भांडागारित माल की निकासी अनियमित थी।

(ii) मै. बिल केयर लिमिटेड (पुणे कमिश्नरी) ने पीवीसी फिल्मस आयातित की थी और इसे बी/ई सं. 3602573 दिनांक 25 मई, 2011 के तहत आईसीडी दिल्ली में अनुबद्ध के अंतर्गत भांडागारित किया गया था। मार्च 2012 के माह में पीवीसी फिल्मस की 9 पेलटों को 3 पेलटों की भांडागारित छोड़ते

हुए निकासी की गई थी (स. 6351502 दिनांक 24 मई 2012 के माध्यम से एक्स-बॉण्ड बी/ई)। प्रविष्टि में कुछ त्रुटि होने के कारण संशोधन के प्रमाण पत्र को अंततः माल को हटाने (मई 2012) की तारीख से एक माह के बीत जाने के बाद जून 2012 में जारी किया गया था। माल को उस बीई सं. से हटाया गया था जो मौजूद ही नहीं थी और न ही उचित संशोधन द्वारा नियमित किया गया था।

7.25.9 समय समाप्ति के बाद निकासी न किया गया माल

निपटान कार्रवाई की प्रतीक्षा में यदि भांडारित माल को निर्धारित अवधि में नहीं हटाया जाता है तो उपयुक्त अधिकारी को माल के संबंध में देय सभी शास्ति, किराया, ब्याज और दूसरे प्रभारों के साथ ऐसे माल के कारण प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि की मांग करनी है और आयातक मांग का भुगतान और माल की निकासी करेगा (सीमाशुल्क, 1962 की धारा 61(बी))। मांगी गई राशि के भुगतान में विफल होने के मामले में आयातक धारा 142 के अंतर्गत वसूली कार्रवाई के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क सहायक/उपायुक्त से माल को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार माल की नीलामी द्वारा शुल्क की वसूली हेतु कार्रवाई करना अपेक्षित है।

11 कमिश्नरियों (हैदराबाद -।।, इन्दोर, एनसीएच – दिल्ली, तूतीकोरिन, चेन्नई (सी), चेन्नई (एयर), जेएनसीएच, मुम्बई, एनसीएच-मुम्बई, पुणे, कोलकाता कस्टम हाऊस और बैंगलोर –करवार) में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹1056.47 करोड़ मूल्य के कालबाधित भांडागारित माल के 6491 मामले एक से 20 वर्षों से अधिक तक की अवधि के लिए निपटान कार्रवाई की प्रतिक्षा में थे। समय के साथ-साथ माल के वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हो रहा था और राजस्व की यथेष्ट राशि भी सीमाशुल्क और उस पर ब्याज के रूप में भी अवरूद्ध हो चुकी थी **(परिशिष्ट 63)**।

7.25.10 निपटाए न गए माल का कालवार विश्लेषण

उपरोक्त कालबाधित माल का 11 कमिश्नरियों में निपटान कार्रवाई के लिए प्रतीक्षित ₹ 105646 करोड़ के राजस्व वाले 6491 मामलों के कालवार विश्लेषण को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़)

वर्ष	मामलों की सं.	माल का निर्धारणीय मूल्य	शामिल शुल्क एवं ब्याज
20 से अधिक	653	1964	2404
10 एवं 20 के बीच	2382	30777	13975
5 एवं 10 के बीच	901	3554	1947
1 एवं 5 के बीच	2555	69351	6542
कुल	6491	105646	24868

निदर्शी मामलों पर चर्चा नीचे की गई हैं:-

(i) सीडब्ल्यूसी पब्लिक बॉडिड वेयर हाउस पीतमपुर, डिस्ट्रिक्ट धर (म.प्र.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 31.92 लाख के निर्धारणीय मूल्य के प्रति ₹ 35.51 लाख की कुल शुल्क की राशि वाले छः कालबाधित अनुबंध माल मार्च 1990 से निपटान हेतु लंबित थे।

(ii) 261 मामलों में चेन्नई सीमाशुल्क कमिश्नरी के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी अनुबंध भांडागारों में ₹ 37.41 करोड़ के कुल शुल्क वाले भांडागारित माल भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से 339 माह तक की अवधि के लिए निपटान की प्रतीक्षा में थे।

(iii) एनसीएच कमिश्नरी (मुम्बई) के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी वाशी में आयातित (नवम्बर 2011) में ₹ 0.53 करोड़ मूल्य के मोटर वाहनों के सात परेषणों की भांडागार अवधि की समाप्ति और बॉण्ड की समाप्ति के बाद निकासी नहीं की गई थी। इन मामलों में शामिल सीमाशुल्क ₹ 340.24 करोड़ था और ₹ 33.37 लाख की राशि का ब्याज वसूली योग्य था।

7.25.11 निकासी न किए गए माल की नीलामी/बिक्री में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

नमूना जांच से पता चला कि पांच कमिश्नरियों के माध्यम से आयातित और सार्वजनिक एवं निजी सीमाशुल्क अनुबंध भांडागारों में भांडागारित ₹474.41 करोड़ मूल्य के माल के 811 परेषणों के मामले में निकासी नहीं की गई थी, जैसाकि विभाग ने नीलामी के माध्यम से उक्त को बिक्री के लिए रोक लिया। समय के बीतने के साथ-साथ माल ने ₹ 146.73 करोड़ मूल्य के शुल्क एवं ब्याज की हानि सहित उनके वाणिज्यिक मूल्य के माल की हानि हुई **(परिशिष्ट 64)**।

(i) मै. सीडब्ल्यूसी वाशी एवं कालाम्बोली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹22.01 करोड़ के कुल शुल्क वाले 122 मामलें भांडागारण अवधि की समाप्ति की तारीख से 112 माह तक की अवधि के लिए निपटान की प्रतीक्षा में थे।

(ii) आयात बॉण्ड अनुभाग, कस्टम हाऊस, कोलकाता में अनुरक्षित भांडागार रजिस्टर की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जून 1979 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान जिसमें कम से कम ₹ 83.81 करोड़ का सीमा शुल्क शामिल था। भांडागारित आयातित माल के 334 मामलों की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के अंतर्गत अनुमत भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद भी निकासी नहीं की गई थी।

7.25.12 स्थापना प्रभारों की वसूली न होना/कम वसूली होना

अप्रैल 1991 में जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के साथ पठित भांडागार विनियमावली 1966 में विनिर्माण एवं दूसरे परिचालनों के नियम 4 (V) के अनुसार लागत वसूली आधार पर सृजित पदों के संबंध में स्थापना प्रभारों की लागत पद की औसत लागत अर्थात पद का औसत वेतन एवं मंहगाई भत्ता और दूसरे भत्तों सहित भत्ते के 1.85 गुणा के बराबर होगी।

(i) आयुक्त सीमाशुल्क, विशाखापत्तनम में मार्च 2004 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए मै. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (शिप मैन्युफेकचरिंग बोन्डिड वेयरहाउस) विशाखापत्तनम से ₹1.94 करोड़ के लागत वसूली प्रभारों के बकाया उगाही के लिए लम्बित थे।

(ii) मुम्बई कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन वाशी के संबंध में 1996 से 2011 की अवधि के स्थापना प्रभार ₹ 0.98 करोड़ की सीमा तक भांडागार रखपालों से सीमाशुल्क विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए/कम वसूल किए गए थे।

7.25.13 व्यापारी समयोपरि फीस की कम वसूली

नमूना जांच से पता चला कि पांच[29] अनुबंध भांडागार के संबंध में 2010 से 2013 की अवधि के लिए ₹ 2.43 करोड़ की सीमा तक स्थापना प्रभारों को सीमाशुल्क विभाग द्वारा भांडागार रखपालों से वसूल नहीं किया गया/कम वसूल किया गया था।

7.25.14 पुन: भांडागारण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

अधिसूचना सं. 59 सीमाशुल्क दिनांक 1 फरवरी 1963 के साथ पठित धारा 67 के अनुसार यदि भांडागारित माल को पुन: भांडागारण के लिए दूसरे शहर में एक भांडागार से दूसरे में भेजा जाता है तब आयातक को उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण पत्र कि माल गन्तव्य स्थल तक पहुंच गया है, को तीन माह या विस्तारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को बाध्यकारी करते हुए एक बॉण्ड करना चाहिए और बैंक प्रत्याभूति देनी चाहिए जिसके विफल होने पर ऐसे माल का उद्ग्राह्य आयात शुल्क की राशि के बराबर बॉण्ड को जब्त कर लिया जाएगा।

नमूना जांच से पता चला कि तीन कमिश्नरियों के संबंध में 334 मामलों में ₹ 19.08 करोड़ मूल्य के भांडागारित माल को 2010 से 2013 की अवधि के दौरान हटाकर विभिन्न शहरों के भांडागारों में भेजा गया था। उपयुक्त अधिकारी द्वारा न तो पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और न ही विभाग ने बकाया बॉण्ड/बैंक प्रत्याभूतियों की जब्ती के लिए कार्रवाई की थी। इन मामलों में शामिल ₹ 20.54 करोड़ (चेन्नई – 275 मामले; 19.08 करोड़, हैदराबाद – 58 मामले; 0.35 करोड़ और अहमदाबाद-1 मामला ₹ 1.11 करोड़) के सीमाशुल्क की उगाही नहीं की गई थी।

---

[29] (मै. स्टरलाईट इंडि. लि.-तूतीकोरिन, ₹0.88 लाख, सीडब्ल्यूसी वाशी मुम्बई; ₹0.98 करोड, राघव वेयरहाउस – हैदराबाद; ₹0.05 लाख, जे.के.टायर इण्ड. जयपुर; ₹0.06 लाख एवं सीएफएस पिम्परी /आईसीडी, डिगही पुणे; ₹1.44 करोड़)

मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) चेन्नई सी कमिश्नरी द्वारा (2010-2011) से (2012-2013) की अवधि के लिए अनुरक्षित हस्तांतरण अनुबंध बॉण्ड रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि विभिन्न स्टेशनों पर भांडागारों/ईओयू पर माल की प्राप्ति के लिए पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र जून 2013 तक 275 हस्तांतरण बॉण्ड के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। इससे ₹ 19.08 करोड़ मूल्य का सीमाशुल्क 2010-2011 से 2012-2013 की अवधि से संबंधित हस्तांतरण बॉण्डस के संबंध में वसूल नहीं किया गया था। हॉलाकि, सीमाशुल्क विभाग ने पुन: भांडागारण प्रमाणपत्रों के प्राप्त नहीं होने के बारे में संबंधित सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित किया फिर भी शुल्क की वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी जैसाकि हस्तांतरण बॉण्ड में आयातकों ने आश्वासन दिया था।

(ii) मै. राघव वेयरहाऊस, (हैदराबाद) के मामले में यह पाया गया कि 58 मामलों में पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं तथापि यथा निर्धारित तीन माह की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। तीन माह के अंदर पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए वसूली योग्य शुल्क ₹ 0.35 करोड़ निकाला गया। जब ध्यान में लाया गया तो यह उत्तर दिया गया कि आपत्ति की जांच की जाएगी।

(iii) सार्वजनिक अनुबन्ध भांडागार मै. सेन्ट्रल वेयरहाऊस कार्पोरेशन (सीएफएस) अदालज, अहमदाबाद के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 1.11 करोड़ के मूल्य वाली 154 एमटीएस मेलामाईन को मै. डरफेरिट एशिया प्रा. लि. (इओयू) आन्ध्र प्रदेश को एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिल के माध्यम से मालिकाना आधार पर हस्तान्तरित किया गया था। यहाँ प्राप्त किए गए पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र का कोई अभिलेख नहीं था।

7.25.15 भांडागार में अनुज्ञेय अवधि से अधिक के लिए माल का भंडारण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के अनुसार भांडागार में या किसी दूसरे भांडागार में, जिसमें इनको भेजा जा सकता है, जमा माल की भांडागारण अवधि निम्नानुसार है:

i किसी ईओयू में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत माल को पांच वर्षों के लिए रखा जा सकता है।

ii किसी ईओयू में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत माल के अलावा माल को तीन वर्ष के लिए रखा जा सकता है।

iii किसी दूसरे माल को एक वर्ष के लिए रखा जा सकता है।

उक्त भांडागारण अवधि को छः माह की अनधिक अवधि के लिए आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर विस्तारित किया जा सकता है, जैसा वह उचित समझें। इसके अलावा, भांडागारण अवधि के विस्तारण के लिए अनुरोध पर विचार करने से पहले परिपत्र सं.47/2002 – सीमाशुल्क दिनांक 29 जुलाई 2002 के पैराग्राफ 4 के अनुसार कस्टम हाउस को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्ववर्ती अवधि में माल पर प्रोदभूत ब्याज का भुगतान आवेदक द्वारा अतिरिक्त विस्तारण की अनुमति से पहले किया जाता है।

मै. मैथन इस्पात लि., जयपुर (ओडिशा) को मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता के अंतर्गत भंडारित उनके माल की भांडागारण अवधि पर विस्तारण अनुमति तीन बार दी गई लेकिन उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ₹ 0.40 करोड़ के प्रोदभूत ब्याज को विभाग द्वारा कथित तीन विस्तारणों के प्रदान करने से पहले संग्रहीत नहीं किया गया था। इसको जून 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.25.16 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत निकासी के लिए लम्बित माल

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 में प्रावधान किया जाता है कि घरेलू खपत के लिए दर्ज किसी आयातित माल के मामलों में, या तो शुल्क योग्य हो या नही, सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क आयातक के इस आवेदन पर संतुष्ट है कि माल की उचित समय में निकासी नहीं की जा सकती लम्बित निकासी पर माल को सार्वजनिक भांडागार या यदि सार्वजनिक भांडागार में भंडार के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो निजी

भंडारागार में भंडारित करने की अनुमति दी जा सकती है; लेकिन ऐसे माल को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भांडागारित माल नहीं माना जाएगा, और तदनुसार अध्याय IX के प्रावधान ऐसे माल पर लागू नहीं होंगे।

(i) जेएनसीएच कमिश्नरी के निजी भांडागारों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 के तहत 2010 से 2013 के दौरान भांडागारित ₹ 185.94 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य और ₹ 3.40 करोड़ के शुल्क वाले तैंतालीस परेषण निकासी की प्रतीक्षा में थे। समय के साथ-साथ इनके वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हो रहा था और ₹ 3.40 करोड़ का सरकारी राजस्व भी अवरूद्ध हो रहा था। यद्यपि, इस माल का सीमाशुल्क विभाग के अभिरक्षक द्वारा प्रस्तुत कालबाधित माल के मासिक विवरणों में उल्लेख किया गया था, फिर भी सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 48 के अनुसार विभाग द्वारा कोई निपटान कार्रवाई नहीं की गई थी **(परिशिष्ट 65)**।

(ii) सीडब्ल्यूसी वेयरहाऊस आयात एवं निर्यात, कोलकाता द्वारा मार्च 2013 माह के लिए प्रस्तुत किए गए मासिक बॉण्ड विवरण की संवीक्षा से पता चला कि कम से कम ₹ 0.20 करोड के शुल्क सहित ₹ 11.17 करोड़ मूल्य के आयातित माल के 46 परेषणों की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 के अंतर्गत 1980 से 2002 के दौरान भांडागार में रखा गया था किंतु ये 11 से 32 वर्षों की समाप्ति के बाद भी बिना निपटान के पड़ी थी **(परिशिष्ट 66)**।

7.26 भांडागारों की लेखापरीक्षा

परिपत्र सं. 52/98-सीमाशुल्क, दिनांक 27 जुलाई 1998 के अनुसार अनुबंध भांडागारों की छः माह में एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षा के दौरान, सभी ऐसे परेषणों को, जो भंडारण अवधि की समाप्ति के बाद भांडागारण में पड़ी रही, ह्रास, स्थानापन्न या दूसरे गैर कानूनी रूप से हटाने के प्रति सुरक्षा देने के लिए संवीक्षा की जानी चाहिए।

(i) कोनकोर, हैदराबाद के मामले में लेखापरीक्षा के ब्यौरे मांगे जाने के बाद यह उत्तर दिया गया कि सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी। मै. राघव वेयरहाऊसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स सर्विसेज प्रा. लि. के मामलें में यह उत्तर दिया गया कि विभागीय लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(ii) दिल्ली कमिश्नरी में यह देखा गया कि तीन वर्षों में केवल पांच यूनिटों का एक बार दौरा किया गया था, शेष 55 यूनिटों का इस तथ्य के बावजूद कभी भी दौरा नहीं किया गया था कि दौरा की गई सभी यूनिटों ने कमियों के मामलों को उजागर कर दिया था। इसलिए विशेष अन्वेषण और आसूचना शाखा (एसआईआईबी) निरीक्षणों के दौरों की बारम्बारता सरकारी राजस्व के संरक्षण के लिए बढ़ाई जाए।

(iii) यह पाया गया कि इन्दोर कमिश्नरी में ₹33.43 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व 2010-11 से 2012-2013 की अवधि के दौरान तीन अनुबंध भांडागारों (सार्वजनिक अनुबंध भांडागार, पीतमपुर, ₹ 1.39 करोड, निजी अनुबंध भांडागार, पीतमपुर; ₹ 1.21 करोड़ और निजी अनुबंध भांडागार, घटाबिल्लोड; ₹ 30.83 करोड़) से विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था, किंतु किसी भी भांडागार की कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7.27 भांडागारित माल पर अपर्याप्त नियंत्रण

सीमाशुल्क नियम पुस्तक के प्रावधानों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 62 के प्रावधानों में अनुबन्ध किया जाता है कि भांडागारित माल को उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के बिना भांडागार से नहीं हटाया जाना चाहिए। सीमाशुल्क के निवारक अधिकारी कस्टम्स लॉक की चाबी सहित आयातक/एजेंट के साथ जाएगा और भांडागार में अनुरक्षित बॉण्ड स्टॉक रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेगा। निजी भांडागार रखपाल को भांडागारों में पड़े हुए समय समाप्त हो चुके माल का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भांडागार अभिलेख की तुलना में कस्टम हाऊस अभिलेख के स्टॉक में कोई विसंगति नहीं है, के लिए सीमाशुल्क बॉण्ड विभाग को बॉण्ड में प्राप्ति, निर्गम, शेष की विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(i) जयपुर कमिश्नरी के अंतर्गत मै. जैक्वार एण्ड कम्पनी प्रा.लि. यूनिट-II भिवाड़ी, और मै. लॉयड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लि.- 146 (बीएण्डसी) भिवाड़ी के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (जून 2013) कि निवारक अधिकारी भांडागारित माल की प्रविष्टि/हटाने की तारीख पर

आयातक/सरंक्षक के साथ नहीं गया था जो इस तथ्य से प्रमाणित था कि बॉण्ड स्टॉक रजिस्टर पर निवारक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। इस प्रकार, भांडागारित माल के स्थानापन्न को रोकने के जोखिम एवं गैर कानूनी तरीके से हटाने में चूक है।

(ii) मुम्बई कमिश्नरी में 1 सार्वजनिक एवं 5 निजी भांडागारों के संबंध में में यह पाया गया कि बांड में प्राप्ति, निर्गम और शेष की विवरण रिपोर्ट को सीमाशुल्क बॉण्ड विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण भांडागार माल पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हुआ था। इसे बताया गया और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

(iii) एक्स-बांड निकासियों को भांडागार बिल रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, और प्रविष्टियों पर भांडागारित माल को हटाने के पर्यवेक्षण को दर्शाते हुए बांड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, आईसीडी, सनतनगर, हैदराबाद -।। कमिश्नरी के अंतर्गत मै. कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कोनकोर)और मै. सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रस्तुत किए गए भांडागार रजिस्टर में यह देखा गया कि इस पैरा के अंतर्गत सूचीबद्ध कुछ मामलों में रजिस्टर में वर्ष के अंत में स्टॉक की निकासी को 'शून्य'/'केवल भाग' के रूप में दर्शाया। तथापि, ईडीआई प्रणाली में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन करने पर यह पाया गया कि स्टॉक की भांडागार से पूर्णत: निकासी कर दी गई थी।

(iv) इसी प्रकार,निजी अनुबंध भांडागार मै. इन्डो निप्पो केमिकल्स क. प्रा. लि. (कांडला) के 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निवारक अधिकारी (पीओ) के हस्ताक्षर बांड रजिस्टर पर नहीं पाए गए थे जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि पीओ भांडागारित माल की प्रविष्टि /हटाने/निकासी की तारीख पर आयातक/संरक्षक के साथ नहीं लिया गया था।

7.28 इन्टू बॉंड बिल्स ऑफ एन्ट्री/एक्स बांड बिल्स ऑफ एन्ट्री का प्रमाणीकरण न करना

अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद की कमिश्नरियों द्वारा अनुरक्षित भांडागार स्टॉक रजिस्टर की संवीक्षा से इन्टू बॉंड बिल्स ऑफ एन्ट्री और एक्स बांड निकासियों से संबंधित प्रविष्टियों को प्रमाणित न करने के दृष्टांतों का पता चला।

निदर्शी मामलों पर व्याख्या नीचे दी गई है:

चेन्नई समुद्री कमिश्नरी के नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी अनुबंध भांडागारों में अनुरक्षित भांडागार स्टॉक रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि यहां इन्टू बांड और एक्स बांड बिल्स ऑफ एन्ट्री से संबंधित प्रविष्टियों के गैर-प्रमाणीकरण के पांच दृष्टांत थे। रजिस्टर में यह दर्शाने के लिए भी कोई संकेत नहीं था कि अधीक्षक ने माह में एक बार रजिस्टर की प्रविष्टियों की जांच की हैं।

7.29 अभिलेखों का अनुचित रखरखाव और प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव

नियमपुस्तक के प्रावधान परिकल्पित करते हैं कि एक वर्ष या उससे अधिक से लम्बित परेषणों के संबंध में प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कस्टम हाऊस जहॉं भांडागारण के प्रविष्टि बिल बनाए गए हैं, में प्रति जांच स्थिति भांडागारों के लिए अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त्, सीमाशुल्क निवारक नियमपुस्तक में निर्धारित किया गया कि बांड अधीक्षक को माह में कम से कम एक बार बांड स्टॉक रजिस्टरों की जांच करनी चाहिए और निजी अनुबंध भांडागारों में तैनात अधिकारियों से बांड में प्राप्तियों, निर्गमों और शेषों के विवरण प्रत्येक माह भेजे जाने अपेक्षित है।

कार्यप्रणालियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि अधिकतर कमिश्नरियों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, निगरानी कमजोर थी और अभिलेखों का अनुरक्षण अनुचित था। मासिक प्राप्ति/निर्गम/शेष के विवरणों को भांडागार रखपाल द्वारा नही दिया गया था। बांड रजिस्टरों को अधीक्षक निवारक अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

(i) बांड अनुभाग, एनसीएच, नई दिल्ली में 2010-13 की अवधि के लिए बांड रजिस्टरों की संवीक्षा से पता चला कि दोहरे शुल्क बांड रजिस्टरों को उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था, नियमित रूप से अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था और बांड अधीक्षक द्वारा मासिक रूप से जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, निजी अनुबंध भांडागारों पर तैनात अधिकारी भी उनके पास प्राप्ति/निर्गम और शेषों को दर्शाते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर बांड विभाग को मासिक विवरण भी नहीं भेज रहे थे।

(ii) गोवा कमिश्नरी के अंतर्गत मै. ताज सैट्स एयर केटरिंग और नागपुर कमिश्नरी के मै. इंडो रामा सिन्थेटिक्स के संबंध में, प्राप्ति/निर्गम और शेषों के मासिक विवरणों को बांड विभाग का प्रतिमाह प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ऐसे आधारभूत नियंत्रण उपायों के अभाव में भांडागारित माल के स्थानापन्न के जोखिम और उनको गैर कानूनी रूप से हटाने के प्रतिसंरक्षण के लिए विभाग पर कम विश्वास था।

7.30 निष्कर्ष

कार्यप्रणालियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नमूना जांच की गई कमिश्नरियों के अंतर्गत अधिकतर सार्वजनिक भांडागारों में निगरानी कमजोर थी और अभिलेखों का अनुरक्षण अनुचित था। विभागीय अधिकारियों और सीमाशुल्क लेखापरीक्षा दलों द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा का कवरेज अपर्याप्त था। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ न करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की बड़ी राशि का अवरोधन हुआ, जो अनिवार्य रूप से माल के मूल्यह्रास, स्थानापन्न और वाणिज्यिक मूल्य की हानि के कारण समय के बीतने के साथ-साथ हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से भी भांडागारण और माल की निकासी के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों और कार्य प्रणालियों के उल्लंघन के कई दृष्टान्तों का भी पता चला। अन्यायसंगत विस्तारणों और सुविधाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए समय पर और प्रभावी कार्रवाई के अभाव के कारण पर्याप्त राजस्व का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा ने बताया कि विभाग को बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुधार और अपने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करना चाहिए।

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनांक: **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**